रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1972/अग्रहायण 4, 1894
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1972/AGRAHAYANA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार में मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 7th November, 1972

G.S.R. 1456. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Sixth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. To clause (f) of rule 2 of the Central Secretariat Stenographers Service Rules 1969, the following note shall be added, namely :—

'NOTE' For the purposes of disciplinary matters, "cadre authority" in relation to any cadre, however, means the Ministry or office specified in respect of that cadre in column, 2 or the office specified in column 3, of the First Schedule".

[No. 10/8/72-CS(II)(i)]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1456— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा नियम 1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा नियम (छठा संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 2 के खंड (च) में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाएगी, अर्थात:—

"टिप्पणी:—अनुशासनिक मामलों के प्रयोजन के लिए, किसी संवर्ग के संबंध में "संवर्ग प्राधिकारी" से अभिप्राय उस संवर्ग के सबंध में पहली अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित मंत्रालय अथवा कार्यालय अथवा कालम 3 में उल्लिखित कार्यालय से है ।"

[सं० 10/8/82—के०से० (2) (1)]

11 G of I/72—1.

G.S.R. 1457.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Sixth Amendment) Rule, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. To clause (f) of rule 2 of the Central Secretariat Service Rule, 1962 the following note should be added, namely :—

'NOTE : For the purposes of disciplinary matters, "cadre authority" in relation to any cadre, however, means the Ministry or office specified in respect of that cadre in column 2, or the office specified in column 3, of the First Schedule.'

[No. 10/8/72-CS(I)(ii)]

सा० का० नि० 1457.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय, सेवा नियम 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:–

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (छटा संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 2 के खंड (च) में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाएगी, अर्थात:–

"टिप्पणी:–अनुशासनिक मामलों के प्रयोजन के लिए, किसी संवर्ग के संबंध में "संवर्ग प्राधिकारी" से अभिप्राय उस संवर्ग के संबंध में पहली अनुसूची के कालम 2, में उल्लिखित मंत्रालय अथवा कार्यालय अथवा कालम 3, में उल्लिखित कार्यालय से है ।"

[सं० 10/8/72–के०से०–2(ii)]

G.S.R. 1458.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Seventh Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. To clause (f) of rule 2 of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, the following note shall be added namely:—

'NOTE : For the purposes of disciplinary matters, "cadre authority" in relation to any cadre, however, means the Ministry of office specified in respect of that cadre in column 2, or the office specified in column 3, of the First Schedule.

[No. 10/8/72-CS(II)(iii)]

सा० का० नि० 1458—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय, लिपिक सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:–

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सातवां संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के नियम 2 के खंड (च) में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाएगी, अर्थात:–

"टिप्पणी:–अनुशासनिक मामलों के प्रयोजन के लिए, किसी संवर्ग के संबंध में "संवर्ग प्राधिकारी" से अभिप्राय उस संवर्ग के संबंध में पहली अनुसूची के कालम 2, में उल्लिखित मंत्रालय अथवा कार्यालय अथवा कालम 3, में उल्लिखित कार्यालय से है ।"

[सं० 10/8/72–के०से०(2)(iii)]

The 9th November, 1972

G.S.R. 1459.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Fourth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 1962, the words "before the appointed day" occuring in the third proviso to sub-rule (2) of rule 12 and the first proviso to sub-rule (2) and the first proviso to sub-rule (7) of rule 13, shall be omitted.

[No. 10/7/72-CS-II(i)]

दिनांक 9 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1459.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय, सेवा नियमावली 1962 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 में से नियम 12 के उप-नियम (2) के तीसरे परन्तु के और उप-नियम (2) के परन्तुक और नियम 13 के उप-नियम (7) के प्रथम परन्तुक में आए हुए "नियत दिन के पहले" शब्द निकाल दिए जाएंगे ।

[सं० 10/7/72–के०से० (ii) (i)]

G.S.R. 1460.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him to this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules, may be called the Central Secretariat Stenographer's Service (Fourth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the first proviso to sub-rule (2) of rule 11 of the Central Secretariat Service Rules, 1969 the words "before the appointed day" shall be omitted.

[No. 10/7/72-CS-II(ii)]

सा०का०नि० 1460 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1969 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1969 के नियम 11 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक में से "नियत दिन के पहले" शब्द निकाल दिए जाएंगे ।

[सं० 10/7/72-के०से० (II) (ii)]

G.S.R. 1461.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Fifth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the first proviso to sub-rule (2) of rule 11 of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, the words "before the appointed day" shall be omitted.

[No. 10/7/72-CS-II(iii)]

सा०का०नि० 1461:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली, 1962 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली, 1962 के नियम 11 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक में से "नियत दिन के पहले" शब्द निकाल दिए जाएंगे ।

[सं० 10/7/72-के०से० (II) (iii)]

The 14th November, 1972

CORRIGENDUM

G.S.R. 1462.—The following correction shall be made in the Notifications mentioned below:—

1. No. 9|12|71-CS(II)(i) dated 31st July, 1972 regarding amendment to the CSCS Rules, 1962.

(i) *Sub-para* (1) *of para* 1 For the words and brackets '(Fourth Amendment)' substitute the words and brackets '(Sixth Amendment)'

(ii) *Para* 2 *'First Schedule Item* 8, *column* 2 For the existing entry substitute the following entry:—

Ministry of Finance (Department of Expenditure including Defence Division) Bureau of Public Enterprises, Department of Economic Affairs, Department of Revenue and Insurance and Department of Banking.

2. No. 9/12/71-CS(II)(ii) dated 31st July, 1972 regarding amendment to CSSS Rules, 1969.

Para 2, *First Schedule Item* 8 *Column* 2 *For* the existing entry, *substitute* the following entry:—

Ministry of Finance (Department of Expenditure inclusing Defence Division), Bureau of Public Enterprises, Department of Economics Affairs, Department of Revenue and Insurance and Department of Banking).

[No. 9/12/71-CS(II)]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर, 1972

शुद्धिपत्र

सा० का० नि० 1462 :—निम्नलिखित अधिसूचनाओं में नीचे दी गई शुद्धियां की जायेंगी :—

अधिसूचना	की जाने वाली शुद्धियां
1- के०स० लिपिक सेवा नियम, 1962 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना सं० 9/12/71-के०स०-(2)(i) दिनांक 31-7-72	(i) पैरा 1 का उप-पैरा (1) (चौथा संशोधन) शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर '(छठा संशोधन)' शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित करें। (2) पैरा 2, पहली अनुसूची मद 8 कालम 2 विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करें :— वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग (रक्षा प्रभाग सहित) सरकारी उद्यम ब्यूरो, अर्थ विभाग, राजस्व और बीमा विभाग तथा बैंकिंग विभाग।
2 के० स० आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना सं० 9/12/71-के०स०(2)(ii) दिनांक 31-7-72	पैरा 2 पहली अनुसूची मद 8 कालम 2 विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करें :— वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग (रक्षा प्रभाग सहित) सरकारी उद्यम ब्यूरो अर्थ विभाग, राजस्व और बीमा विभाग तथा बैंकिंग विभाग)।

[सं० 9 (12)/71-के०-स० (2)]

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

New Delhi, the 10th November, 1972.

G.S.R. 1463.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III Ministerial posts in the Directorate of Revenue Intelligence, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Revenue Intelligence (Class III Ministerial posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, Classification and Scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, Age limit, Qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other maters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Government of India issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordonce with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

K. L. RAMACHANDRAN, Under Secy.

THE SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Office Superintendent	1	General Central Service Class III (non-Gazetted), Ministerial	Rs. 450-25-575	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by vrious methods.
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years	Promotion, failing which, by transfer on deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion:— Assistants of the Directorate of Revenue Intelligence (210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530) having at least 8 years' service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis; **Deputation:—** (a) SAS qualified Accountant from the Audit and Accounts Departments, having at least 3 years' service in the SAS. OR (b) Deputy Office Superintendent (Ministerial) (Rs. 335-15-425) in the Customs and Central Exise Departments having a minimum of 5 years' service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class III Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
2. Assistant	12	General Central Service, Class III (Non-gazetted), Ministerial.	Rs. 210-10-270-15-300-EB 15-450-EB-20-530.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	2 years.	(i) 75% by promotion. (ii) 25% by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(i) **Promotion:—** Upper Division Clerks (Rs.130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300) in the Directorate of Revenue Intelligence with five years' srvice in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis;	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable
(ii) **Transfer on deputation:—** Head Clerks (Rs.210-10-290-15-320-EB-15-380) in the Customs and Central Excise Collectorates and Inspectors of Central Excise (Ordinary Grade) (Rs.210-10-290-15-320-EB-15-425) with three years' service in the grade rendered from the date of appointment there to on a regular basis. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).		

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
3. Stenographer	6	General Central Sérivce, Class III (Non-gazetted) Ministerial	Rs.210-10-290-15-320-EB-15-425	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
25 years.	(i) Matriculation or equivalent. (ii) Speed of 120 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing	(i) Age:—No. (ii) Qualifications: Yes.	2 years	By promotion, failing which, by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
11	12	13
Promotion of Stenographers (Ordinary grade) (Rs.130-5-160-8-256-EB-8-280-10-300) with 5 years' service in the Directorate of Revenue Intelligence rendered from the date of appointment thereto on a regular basis on passing the short hand test at 120 words per minute and typewriting test at 40 words per minute	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
4. Upper Division Clerk.	11	General Central Service Class III (Non-gazetted), Ministerial	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-8-280-10-300.	Non-selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years	By promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(i) 75% by promotion of Lower Division Clerks (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180) in the Directorate of Revenue Intelligence having at lest five years. service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis; (ii) 25% by promotion on the basis of limited competitive examination confined to Lower Division Clerks of the Directorate of Revenue Intelligence (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180) having at least three years' service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
5. Stenographer (Ordinary Grade)	16	General Central Service, Class III (Non-gazetted), Ministerial	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
25 years	(i) Matriculation or equivalent. (ii) Speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in typing	Not applicable	2 Years	By selection on the basis of a test in shorthand and typing from amongst the Lower Division Clerks of the Directorate of Revenue Intelligence who posses the qualification prescribed in column 7, failing which, by direct recruitsment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
6. Lower Division Clerk.	29	General Central Service, Class III (Non-gazetted), Ministerial.	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
25 years	(i) Matriculation or equivalent qualifications. (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting provided :— (a) that a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting. AND (b) That a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the employment exchange for handicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not fit to be able to type.	Not applicable	2 Years	By direct recruitment. NOTE :—10 per cent of the vacancies shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on the regular establishment of the Directorate of Revenue Intelligence) subject to the following conditions :— (a) Selection would be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfill the requirements of minimum educational qualifications, viz., matriculation or equivalent. (b) The maximum age for this examination would be 45 years (50 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates). (c) At least 5 years' service in Class IV would be essential. (d) A maximum number of recruitments by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerk occuring in a year, unfilled vacancies would be not carried over.

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	Not applicable	Not applicable.

नई दिल्ली 10 नवम्बर, 1972

सा०का०नि० 1463.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय में वर्ग 3 अनुसचिवीय पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–(1) इन नियमों का नाम राजस्व गुप्त-सूचना निदेशालय (वर्ग 3 अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :–ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ I में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान** :–उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए साधारण आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी।

5– **निर्हताएं**:–वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6– **शिथिल करने की शक्ति**:–जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7– **व्यावृत्ति**–इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

[सं, 412/13/71-ए. बी. डी.-IV]

के० एल रामाचन्द्रन, अवर सचिव

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1–कार्यालय अधीक्षक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	450-25-574 रु०	चयन	लागू नहीं होता

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा मे लागू होगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नही होना	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उस की सरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
10	11	12	13
प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	**प्रोन्नति** :– राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय के सहायक (रु 210-10-270-15-300 द० रो०-15-450-द०रो०-20-530 रू०) जिनकी उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति की तारीख से कम से कम 8 वर्ष की सेवा हो। **प्रतिनियुक्ति** :– (क) संपरीक्षा और लेखा विभागों के एस०ए०एस० अर्हित लेखापाल जिनकी एस०ए०एस० में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो । या (ख) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभागों में उप-कार्यालय अधीक्षक (अनुसचिवीय) (335-15-425 रू०) जिनकी उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक)	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6
2—सहायक	12	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रू० 20-530 रू०	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9
लागू नही होता	लागू नही होता	2 वर्ष

10	11	12	13
(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	(1) **प्रोन्नतिः–** राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिक (130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो०-8-280-10-300 रू०)-जिनकी उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की सेवा हो ; (2) **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणः–** सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्ट्रेट में प्रधान लिपिक (210-10-290-15-320-द० रो०-15-380 रू०) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सामान्य श्रेणी) के निरीक्षक (210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रू०) जिनकी उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक है)	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6
3—आशुलिपिक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग–3 (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	210-10-290-15-320-द० रो०-15-425 रू०	चयन	25 वर्ष

7	8	9
(i) मैट्रिक या समतुल्य (ii) आशुलिपि में प्रति मिनट 120 शब्द और टाइपिंग में 40 की गति	(i) आयु–नहीं (ii) अर्हताएं–हां	2 वर्ष

10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	आशुलिपिकों (सामान्य श्रेणी) की (130-5-160-8-256-द०रो०-8-280-10-300 रू०) जिनकी राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय मे आशुलिपिक परीक्षण में प्रति मिनट 120 शब्द और टंकण परीक्षण में प्रति मिनट 40 शब्द उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की सेवा हो, प्रोन्नति ।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
4—उच्च श्रेणी लिपिक	11	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग—3 (अराजपत्रित), अनुसचिवीय	130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-8-280-10-300 रू०	अचयन	लागू नही होता

7	8	9
लागू नही होता	लागू नही होता	2 वर्ष

10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा	(i) राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिकों की (110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180 रू०) जिनकी उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति की तारीख से कम मे कम 5 वर्ष की सेवा हो, 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय के निम्न श्रेणी लिपिकों (110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180 रू०) जिनकी उस श्रेणी मे नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति की तारीख से कम मे कम 3 वर्ष की सेवा हो, तक सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	वर्ग 3, विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6
5—आशुलिपि (सामान्य श्रेणी)	16	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, (अराजपत्रित), अनुसचिवीय	130-5-160-8-200-द.रो० 8-256-द०रो०-8-280-10-300	लागू नहीं होता	25 वर्ष

7	8	9
(i) मैट्रिक या समतुल्य । (ii) आशुलिपि में प्रति मिनट 100 शब्द और टाईपिंग में प्रति मिनट 40 शब्द की गति ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय के निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हता हो, आशुलिपि और टाईपिंग में परीक्षण के आधार पर चयन द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना

1	2	3	4	5	6
6—निम्न श्रेणी लिपिक	29	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग—3 (अराजपत्रित), अनुसचिवीय	110-3-131-4-155-द०रो०—4-175-5-180 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष

7	8	9
(i) मैट्रिक या समतुल्य अर्हता (ii) टाइपराइटिंग में कम से कम प्रति मिनट 30 शब्दों की गति, परन्तु— (क) यह कि कोई व्यक्ति, जिसके पास टाइप करने की उक्त अर्हता न हो, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि वह वेतनमान में वेतनवृद्धि पाने का या उस श्रेणी में स्थायित्व या पुष्टिकरण का तब तक पात्र न होगा जब तक टाइप राईटिंग में उसकी प्रति मिनट 30 शब्द की गति न हो जाए । और (ख) यह कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति, जो लिपिकीय पद के लिए अन्यथा अर्हित है किन्तु टाइपराइटिंग में उक्त अर्हता नहीं रखता है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए नियोजनालयों से संलग्न चिकित्सक-बोर्ड, या जहां ऐसा बोर्ड न हो, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइप करने के लिए उपयुक्त अवस्था में नहीं है ।			

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण:—10 प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए वर्ग 4 के कर्मचारियों (जो राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय के नियमितस्थापन में हैं) द्वारा भरी जाने के लिए आरक्षित होंगी:— (क) चयन विभागीय परीक्षा द्वारा होगा, जो वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं, अर्थात मैट्रिक या समतुल्य अर्हता, की अपेक्षा पूरी करते हों । (ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष) । (ग) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी । (घ) किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में हुई रिक्तियों के अधिक से अधिक दस प्रतिशत तक इस पद्धति द्वारा भर्ती सीमित होगी । न भरी जाने वाली रिक्तियों को अगले हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना

[No. 412/13/71-AVD-IV]

के०एल० रामचन्द्रन अवर सचिव.

New Delhi, the 15th November, 1972

G.S.R. 1464.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the "Lal Bahadur Shastri Academy of Administration" (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961, namely :—

1. (i) These rules may be called the "Lal Bahadur Shastri Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961, after serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: —

1	2	3	4	5	6	7	8	9
"13 Assistant Professor in Hindi.	1	General Central Services Class-II, Non-Ministerial.	Rs. 590-30-830-35-900.	Selection	45 years (Relaxable for Government servants).	*Essential :* (1) Second Class Master's Degree in Hindi of a Recognised University or equivalent. (2) At least 8 years' teaching experience in a recognised University/College. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable :* (1) Knowledge of any other modern Indian language. (2) Knowledge of Sanskrit.	Age : No, Educational qualifications: Yes.	2 years.

10	11	12	13
By promotion, failing which by transfer on deputation (including short term contract) and, failing both, by direct recruitment. *Transfer on deputation :* (including short-term contract) Officers holding analogus posts in teaching institutions under the Central/State Governments or officers holding equivalent status in the Universities and possessing the educational qualifications specified in Column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	*Promotion :* Hindi Instructor with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 32/26/71-AIS(III)Trg.]

Miss SHANTA RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1464—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियम 1961 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (i) ये नियम लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 लाल बहादुर प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियम 1961 की अनुसूची में क्रम संख्या 12 के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों से निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
हिन्दी के सहायक प्रोफेसर	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II अलिपिक वर्गीय	590—30—830—35—900 रु०	चयन द्वारा	45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है)

7	8	9
अनिवार्य :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय। कालेज में कम से कम 8 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव। (अन्य दृष्टियों से सुयोग्य उम्मीदवारों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग यदि चाहे तो, योग्यताओं में छूट प्रदान कर सकता है) **वांछनीय :—** (1) किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान। (2) संस्कृत का ज्ञान।	आयु: नहीं, शैक्षिक योग्यताएं: हां	2 वर्ष

10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, (अल्प-अवधि के अनुबन्ध सहित और दोनों स्थितियों के अभाव में सीधे भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति** हिन्दी अनुदेशक, जिसने श्रेणी II नियमित रूप से नियुक्ति होने के बाद उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो।	विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग के अधीन यथाअपेक्षित (परामर्श से छूट) विनियम, 1958

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

(अल्प अवधि के अनुबन्ध सहित केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन शिक्षण संस्थानों में सदृश पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा विश्वविद्यालयों में समकक्ष पद पर कार्य कर रहे अधिकारी जो कालम 7 में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताएं रखते हों।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि — साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[सं० एफ—32/26/71-अ० भा० स० (3) प्रशिक्षण]

(मिस) शान्ता राव, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 1972

CORRIGENDUM

G.S.R. 1465.—In this Department's notification No. 33|18|71-AIS(I)-A, dated the 29th April, 1972, published under GSR No. 266E of the Gazette of India dated the 29th April, 1972, under Tamil Nadu for the entry:—

'Director of Handlooms'.

the following entry shall be submitted :—

'Director of Handlooms & Textiles'.

[No. 33/16/71-AIS(II)-A]

नई दिल्ली-1, 15 नवम्बर, 1972

शुद्धि पत्र

सा० का० नि० 1465— भारत के राजपत्र दिनांक 29 अप्रैल 1972 में सा०का०नि० 266 ई० के अन्तर्गत प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 33/18/71-अ०भा०से०(1)-(क) दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में, तमिल नाडू के अन्तर्गत 'हथकरघा निदेशक, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"निदेशक, हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग'

[सं० 33/16/71-अ० भा० सं—2(क)]

CORRIGENDUM

G.S.R. 1466. — In this Department's notification No. 33|18|71-AIS(I)-B, dated the 29th April, 1972 published under GSR 267E dated the 29th April, 1972, under the heading 'B' posts against Tamil Nadu for the entries:—

1. 'Director of Handlooms'
2. 'Joint Director of Co-operative Societies'
3. 'Managing Director, Tamil Nadu Small Industries Development Corporation'.

(i) the following entries shall be substituted:—

1. 'Director of Handlooms & Textiles'
2. 'Joint Registrar of Co-operative Societies'.
3. 'Managing Director, Tamil Nadu Small Industries Corporation.'

(ii) the following entries shall be added:—

1. 'Chief Electoral Officer'
2. 'Commissioner, Urban Land Tax and Agricultural Income-tax.'

3. 'Director of Sugar.'

4. 'Director of Land *Reforms.*

No. 33/16/71-AIS(II)-B

(S. Habeebullah).
Under Secretary to the Government of India.

सा० का० नि० 1466—भारत के राजपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में सा०का०नि० 267 ई० के अन्तर्गत प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं० 33/18/71-अ०भा०से० (1)-ख दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में 'ख' शीर्षक के अन्तर्गत तमिल नाडू पदों के सामने :-

1. 'हथकरघा निदेशक' ।
2. 'संयुक्त निदेशक, सहकारी समितियां'
3. 'प्रबन्ध निदेशक, तमिल नाडू तथा लघु उद्योग विकास निगम,' प्रविष्टियां के स्थान पर।

(1) निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगीं।

1. 'निदेशक, हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग' ।
2. 'संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां' ।
3. 'प्रबन्ध निदेशक, तमिल नाडू लघु उद्योग निगम' ।

2. निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी।

1. 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी'।
2. 'आयुक्त शहरी भूमि कर तथा कृषि आयकर' ।
3. 'चीनी निदेशक' ।
4. 'निदेशक भूमि सुधार' ।

सं० 33/16/71-अ० भा० से० (2)-ख

एस० हबीबउल्लाह अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त् 1972

केन्द्रिय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 1467 (962)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम 1944 (194का 1) धारा 3 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 230-69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 6 दिसम्बर, 1969 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी I और सारणी II के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट विद्युत मोटरों के, जो उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची की मद 30 के अधीन मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य हैं, यथास्थिति उक्त सारणी I अथवा सारणी II के स्तम्भ 3 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है :-

परन्तु उक्त सारणी I और सारणी II में सम्मिलित किसी मोटर के टैरिफ मूल्य अंतर्वर्ती विद्युत मोटरों पर भी, अर्थात् अल्पकालिक दर नियंत्रक मोटर **यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित** लागू होंगे यदि विनिर्माता द्वारा उन पर दिखाए गए हार्स पावर दर परीक्षण किए जाने पर सही सिद्ध होते हैं ;

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात निम्नलिखित विशेष मोटरों पर लागू नहीं होगी (उनका एम्पीयर और वोल्टेज अथवा वोल्टेज और हार्स पावर कुछ भी क्यों न हो), अर्थात् :-

(i) विभिन्न गतियों वाली मोटरें;

(ii) द्विगति अथवा बहुगति मोटरें;

(*iii*) ट्रैक्शन मोटरें।

सारणी-I

क्रम सं०	विवरण	तुल्यकालिक गतियों की मोटरों में से प्रत्येक का टैरिफ मूल्य			
		750 आर०पी० एम० से अधिक नहीं	750 आर०पी० एम० से अधिक किन्तु 1,000 आर०पी० एम० से अधिक नही	1,000 आर० पी०एम० से अधिक किन्तु 1,500 आर०पी०एम० से अधिक नही	1,500 आर० पी०एम० से अधिक किन्तु 3,000 आर० पी०एम० से अधिक नहीं
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
		रु०	रु०	रु०	रु०
	1. हारिजेन्टल टाईप को थी फेज स्कवेरल केज मोटर्स से उत्पाद जो पूर्णत्या परिबद्ध हो :				
(1)	5 एच० पी० से अधिक किन्तु 7.5 एच० पी० से अधिक नहीं .	1,975	1,350	1,050	1,050
(2)	7.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 10 एच० पी० से अधिक नहीं .	2,500	2,050	1,275	1,300
(3)	10 एच ०पी० से अधिक किन्तु 12.5 एच० पी० से अधिक नहीं .	2,900	2,350	1,475	1,525
(4)	12.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 15 एच० पी० से अधिक नहीं .	3,625	2,675	1,975	1,800
(5)	15 एच० पी० से अधिक किन्तु 20 एच० पी० से अधिक नहीं . .	5,200	3,700	2,575	2,975
(6)	20 एच० पी० से अधिक किन्तु 25 एच० पी० से अधिक नहीं . .	6,450	4,675	3,275	4,100
(7)	25 एच० पी० से अधिक किन्तु 30 एच० पी० से अधिक नहीं . .	7,700	5,800	3,775	5,550
(8)	30 एच० पी० से अधिक किन्तु 35 एच० पी० से अधिक नहीं . .	9,275	6,850	4,650	6,625

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
		रू०	रू०	रू०	रू०
(9)	35 एच० पी० से अधिक किन्तु 40 एच० पी० से अधिक नहीं	10,300	7,775	5,200	7,225
(10)	40 एच० पी० से अधिक किन्तु 50 एच० पी० से अधिक नहीं	13,350	10,225	6,075	9,450
(11)	50 एच० पी० से अधिक किन्तु 60 एच० पी० से अधिक नहीं	15,550	12,475	8,725	13,300
(12)	60 एच० पी० से अधिक किन्तु 70 एच० पी० से अधिक नहीं	18,125	13,650	10,800	16,925
(13)	70 एच० पी० से अधिक किन्तु 75 एच० पी० से अधिक नहीं	18,300	15,100	11,250	17,575
(14)	75 एच० पी० से अधिक किन्तु 90 एच० पी० से अधिक नहीं	19,675	15,950	13,375	19,675
(15)	90 एच० पी० से अधिक किन्तु 100 एच० पी० से अधिक नहीं	21,650	17,600	13,950	20,425
(16)	100 एच० पी० से अधिक किन्तु 110 एच० पी० से अधिक नहीं	24,840	21,220	17,285	..
(17)	110 एच० पी० से अधिक किन्तु 120 एच० पी० से अधिक नहीं	26,080	22,725	18,275	..
(18)	120 एच० पी० से अधिक किन्तु 125 एच० पी० से अधिक नहीं	29,175	24,115	19,320	25,495
(19)	125 एच० पी० से अधिक किन्तु 150 एच० पी० से अधिक नहीं	32,440	26,620	22,560	30,555
	(2) हारिजेन्टल टाईप की थ्रीफोज स्क्वेरल केज मोटरों से, जो कि पूर्णतया परिबद्ध है, जिसका निम्नलिखित उत्पाद है से भिन्न मोटरें :				
(1)	5 एच० पी० से अधिक किन्तु 7.5 एच० पी० से अधिक नही	1,700	1,400	1,075	1,150
(2)	7.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 10 एच० पी० से अधिक नहीं	1,975	1,600	1,300	1,375
(3)	10 एच० पी० से अधिक किन्तु 12.5 एच० पी० से अधिक नही	2,300	1,825	1,427	1,550
(4)	12.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 15 एच० पी० से अधिक नहीं	2,550	2,000	1,625	1,750
(5)	15 एच० पी० से अधिक किन्तु 20 एच० पी० से अधिक नही	3,100	2,550	2,000	2,175
(6)	20 एच० पी० से अधिक किन्तु 25 एच० पी० से अधिक नही	3,600	2,950	2,350	2,575
(7)	25 एच० पी० से अधिक किन्तु 30 एच० पी० से अधिक नहीं	4,275	3,450	2,675	2,900
(8)	30 एच० पी० से अधिक किन्तु 35 एच० पी० से अधिक नही	5,150	3,825	2,725	3,250
(9)	35 एच० पी० से अधिक किन्तु 40 एच० पी० से अधिक नही	6,075	4,275	3,000	3,600
(10)	40 एच० पी० से अधिक किन्तु 50 एच० पी० से अधिक नहीं	7,225	5,150	4,200	4,300
(11)	50 एच० पी० से अधिक किन्तु 60 एच० पी० से अधिक नही	8,725	6,600	5,475	6,000
(12)	60 एच० पी० से अधिक किन्तु 70 एच० पी० से अधिक नहीं	9,475	7,350	6,200	7,375
(13)	70 एच० पी० से अधिक किन्तु 75 एच० पी० से अधिक नही	10,150	8,150	6,950	7,700
(14)	75 एच० पी० से अधिक किन्तु 90 एच० पी० से अधिक नही	11,100	9,025	7,400	8,325
(15)	90 एच० पी० से अधिक किन्तु 100 एच० पी० से अधिक नही	11,850	9,700	7,925	9,875
(16)	100 एच० पी० से अधिक किन्तु 110 एच० पी० से अधिक नही	13,865	11,465	9,535	13,350
(17)	110 एच० पी० से अधिक किन्तु 120 एच० पी० से अधिक नहीं	14,835	12,220	10,190	15,190
(18)	120 एच० पी० से अधिक किन्तु 125 एच० पी० से अधिक नहीं	17,110	12,665	10,430	16,845
(19)	125 एच० पी० से अधिक किन्तु 135 एच० पी० से अधिक नहीं	17,110	13,350	11,250	16,845
(20)	135 एच० पी० से अधिक किन्तु 150 एच० पी० से अधिक नही	19,070	16,335	12,175	17,820
	(3) थ्री फेज स्क्वेरल केज की दोनों तरह की मोटरें, अर्थात् जिनका उत्पाद पूर्णतया परिबद्ध है और जो पूर्णतया परिबद्ध हैं उनसे भिन्न :				
(1)	0.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 0.75 एच० पी० से अधिक नही	700	580	450	480
(2)	0.75 एच० पी० से अधिक किन्तु 1 एच० पी० से अधिक नही	760	615	480	505
(3)	1 एच० पी० से अधिक किन्तु 1.5 एच० पी० से अधिक नही	840	655	520	545
(4)	1.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 2 एच० पी० से अधिक नही	925	710	545	585
(5)	2 एच० पी० से अधिक किन्तु 3 एच० पी० से अधिक नहीं	1,160	810	650	670
(6)	3 एच० पी० से अधिक किन्तु 5 एच० पी० से अधिक नहीं	1,415	1,115	820	920
	(4) थ्री फेज स्क्वेरल केज मोटर, जिसका उत्पाद निम्नलिखित है :				
(1)	1/10 एच० पी० से अधिक नहीं	435	360	280	295
(2)	1/10 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/4 एच० पी० से अधिक नही	560	460	360	375
(3)	1/4 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/3 एच० पी० से अधिक नहीं	605	475	390	400
(4)	1/3 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/2 एच० पी० से अधिक नही	630	520	410	430

(5)

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
		रु०	रु०	रु०	रु०
(1)	5 एच० पी० से अधिक किन्तु 7.5 एच० पी. से अधिक नहीं	3,950	3,525	2,975	—
(2)	7 5 एच. पी. से अधिक किन्तु 10 एच० पी. से अधिक नहीं	4,925	4,125	3,400	—
(3)	10 एच० पी० से अधिक किन्तु 12.5 एच. पी. से अधिक नहीं	5,700	4,475	3,925	—
(4)	12 5 एच० पी० से अधिक किन्तु 15 एच० पी० से अधिक नहीं	6,675	4,975	4,575	—
(5)	15 एच० पी० से अधिक किन्तु 20 एच० पी० से अधिक नहीं	9,125	6,250	5,725	—
(6)	20 एच० पी० से अधिक किन्तु 25 एच० पी० से अधिक नहीं	10,400	7,725	6,425	—
(7)	25 एच० पी० से अधिक किन्तु 30 एच० पी० से अधिक नहीं	11,700	9,375	700	—
(8)	30 एच० पी० से अधिक किन्तु 35 एच० पी० से अधिक नहीं	13,400	10,325	8,175	—
(9)	35 एच० पी० से अधिक किन्तु 40 एच० पी० से अधिक नहीं	14,625	11,400	8,825	—
(10)	40 एच० पी० से अधिक किन्तु 50 एच० पी० से अधिक नहीं	17,625	14,450	10,975	—
(11)	50 एच० पी० से अधिक किन्तु 60 एच० पी० से अधिक नहीं	20,075	16,525	13,125	—
(12)	60 एच० पी० से अधिक किन्तु 70 एच० पी० से अधिक नहीं	21,400	16,750	14,750	—
(13)	70 एच० पी० से अधिक किन्तु 75 एच० पी० से अधिक नहीं	24,000	19,950	15,275	—
(14)	75 एच० पी० से अधिक किन्तु 90 एच० पी० से अधिक नहीं	24,200	22,925	15,700	—
(15)	90 एच० पी० से अधिक किन्तु 100 एच० पी० से अधिक नहीं	25,975	25,000	16,650	—
(16)	100 एच० पी० से अधिक किन्तु 110 एच० पी० से अधिक नहीं	32,475	28,915	21,965	—
(17)	110 एच० पी० से अधिक किन्तु 120 एच० पी० से अधिक नहीं	38,205	29,800	24,355	—
(18)	120 एच० पी० से अधिक किन्तु 125 एच० पी० से अधिक नहीं	39,660	30,165	25,020	—
(19)	125 एच० पी० से अधिक किन्तु 135 एच० पी० से अधिक नहीं	42,405	31,460	26,400	—
(20)	135 एच० पी० से अधिक किन्तु 150 एच० पी० से अधिक नहीं	43,785	36,896	28,520	—

(6) हारिजेंटल टाईप की थ्री फेज वाली स्क्विरिल में से जो पूर्णतया परिबद्ध से भिन्न है और जिनका उत्पाद निम्नलिखित है।

(1)	5 एच० पी० से अधिक किन्तु 7.5 एच० पी० से अधिक नहीं	3,175	2,875	2,575	—
(2)	7.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 10 एच० पी० से अधिक नहीं	3,525	2,975	2,625	—
(3)	10 एच० पी० से अधिक किन्तु 12 एच० पी० से अधिक नहीं	3,925	3,325	2,850	—
(4)	12.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 15 एच० पी० से अधिक नहीं	4,200	3,525	3,000	—
(5)	15 एच० पी० से अधिक किन्तु 20 एच० पी० से अधिक नहीं	5,275	4,375	3,600	—
(6)	20 एच० पी० से अधिक किन्तु 25 एच० पी० से अधिक नहीं	6,225	5,100	4,125	—
(7)	25 एच० पी० से अधिक किन्तु 30 एच० पी० से अधिक नहीं	7,425	5,800	4,525	—
(8)	30 एच० पी० से अधिक किन्तु 35 एच० पी० से अधिक नहीं	8,025	6,200	4,825	—
(9)	35 एच० पी० से अधिक किन्तु 40 एच० पी० से अधिक नहीं	8,975	7,000	5,125	—
(10)	40 एच० पी० से अधिक किन्तु 50 एच० पी० से अधिक नहीं	10,750	8,900	6,025	—
(11)	50 एच० पी० से अधिक किन्तु 60 एच० पी० से अधिक नहीं	12,325	10,250	7,225	—
(12)	60 एच० पी० से अधिक किन्तु 70 एच० पी० से अधिक नहीं	13,175	10,900	8,350	—
(13)	70 एच० पी० से अधिक किन्तु 75 एच० पी० से अधिक नहीं	13,700	11,400	8,900	—
(14)	75 एच० पी० से अधिक किन्तु 90 एच० पी० से अधिक नहीं	14,750	12,225	9,725	—
(15)	90 एच० पी० से अधिक किन्तु 100 एच० पी० से अधिक नहीं	16,250	13,250	10,550	—
(16)	100 एच० पी० से अधिक किन्तु 110 एच० पी० से अधिक नहीं	17925	15,150	12,670	—
(17)	110 एच० पी० से अधिक किन्तु 120 एच० पी० से अधिक नहीं	19,085	16,090	13,405	..
(18)	120 एच० पी० से अधिक किन्तु 125 एच० पी० से अधिक नहीं	23,500	17,100	13,870	..
(19)	125 एच० पी० से अधिक किन्तु 135 एच० पी० से अधिक नहीं।	23 500	17,475	14,560	..
(20)	135 एच० पी० से अधिक किन्तु 150 एच० पी० से अधिक नहीं	26,450	19,420	15,925	—

(7) प्लेम पर्ण वाली श्री फेज स्कवेरल केज मोटरें जिसका उत्पाद निम्नलिखित है :

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
		रु०	रु०	रु०	रु०
(1)	1 एच० पी० से अधिक नहीं	1,575	1,275	1,100	1,150
(2)	1 एच० पी० से अधिक किन्तु 1.5 एच पी० से अधिक नहीं।	1,850	1,375	1,175	1,225
(3)	1.5 एच० पी से अधिक नहीं किन्तु 2 एच० पी० से अधिक नहीं	1,875	1,450	1,200	1,275
(4)	2 एच० पी० से अधिक किन्तु 3 एच० पी० से अधिक नहीं।	2,250	1,700	1,375	1,425
(5)	3 एच० पी० से अधिक किन्तु 5 एच० पी० से अधिक नहीं	2,700	2,200	1,825	1,975
(6)	5 एच० पी० से अधिक किन्तु 7.5 एच० पी० से अधिक नहीं।	3,450	2,500	2,175	2,250
(7)	7.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 10 एच० पी० से अधिक नहीं	4,175	3,350	2,550	2,625
(8)	10 एच० पी० से अधिक किन्तु 12.5 एच० पी० से अधिक नहीं।	4,975	3,750	3,025	2 900
(9)	12.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 15 एच० पी० से अधिक नही	5.875	4,250	3,575	3,475
(10)	15 एच० पी० से अधिक किन्तु 20 एच० पी० से अधिक नहीं .	7,775	5,950	4,250	4,725
(11)	20 एच० पी० से अधिक किन्तु 25 एच० पी० से अधिक नहीं .	9,475	7,225	5,300	5,700
(12)	25 एच० पी० से अधिक किन्तु 30 एच० पी० से अधिक नहीं .	11,775	9,500	6,125	7,050
(13)	30 एच० पी० से अधिक किन्तु 35 एच० पी० से अधिक नहीं .	13,775	10,700	6,800	7,050
(14)	35 एच० पी० से अधिक किन्तु 40 एच ० पी० से अधिक नहीं .	15,500	11,925	7,875	7,950
(15)	40 एच० पी० से अधिक किन्तु 50 एच० पी० से अधिक नहीं .	19,325	15,700	9,250	11,225
(16)	50 एच० पी० से अधिक किन्तु 60 एच ० पी० से अधिक नहीं .	21,500	17,375	12,275	13,475
(17)	60 एच० पी० से अधिक किन्तु 75 एच० पी० से अधिक नहीं .	23,700	19,500	15,550	17,050
(18)	75 एच० पी० से अधिक किन्तु 100 एच० पी० से अधिक नहीं .	26,000	22,200	19,200	21,025

सारणी–II

1. एक फेज वाली विद्युत मोटर जिसका उत्पाद निम्नलिखित है :

क्रम सं०	विवरण	प्रशुल्क मूल्य प्रति मोटर
(1)	(2)	(3)
		रुपये
(1)	1/40 एच० पी० से अधिक नही	90
(2)	1/40 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/20 एच० पी० से अधिक नहीं .	105
(3)	1/20 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/16 एच० पी० से अधिक नहीं .	135
(4)	1/16 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/8 एच० पी० से अधिक नहीं .	185
(5)	1/8 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/6 एच० पी० से अधिक नहीं .	185
(6)	1/6 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/5 एच० पी० से अधिक नही .	200
(7)	1/5 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/4 एच० पी० से अधिक नहीं .	335
(8)	1/4 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/3 एच० पी० से अधिक नहीं .	340
(9)	1/3 एच० पी० से अधिक किन्तु 1/2 एच० पी० से अधिक नहीं .	420
(10)	1/2 एच० पी० से अधिक किन्तु 3/4 एच० पी० से अधिक नहीं .	515
(11)	3/4 एच० पी० से अधिक किन्तु 1 एच० पी० से अधिक नहीं .	540
(12)	1 एच० पी० से अधिक किन्तु 1.5 एच० पी० से अधिक नहीं .	635
(13)	1.5 एच० पी० से अधिक किन्तु 2 एच० पी० से अधिक नहीं .	760

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(1) संक्षेप प्रकार —

(क) "च० प्र० मि०" से चक्र प्रति मिनिट अभिप्रेत है;

(ख) "हा० पा०" से हार्स पावर अभिप्रेत है;

(2) एक हार्स पावर 0.75 किलोवाट के समतुल्य माना जाएगा।

(3) इस अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट उत्पाद अर्थात् हार्स पावर की रेंज निरन्तर दरों के समरूप है परन्तु उन मोटरों की दशा में जो कि निरन्तर दर नहीं हैं समतुल्य निरन्तर दर को ही उत्पाद माना जाएगा।

[सं० 183/72-उत्प/ एफ० सं० 7/12/71 सी एक्स० 1
एस० आर० नरायनन अवर सचिव।

New Delhi, the 25th November, 1972

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1468. — In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (13th Amendment) Rules, 1972.

2. In the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 96R, for the words "except the second proviso", the words "except the third proviso" shall be substituted.

3. In rule 96S of the said rules, in clause (i), for the words "within seven days", the words "within ten days" shall be substituted.

[No. 216/72].
K VISWANATHAN Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1972
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 1468.—केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (13वां संशोधन) नियम 1972 होगा।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 96व के उपनियम (1) में, "द्वितीय परन्तुक को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर, "तृतीय परन्तुक को छोड़कर"—शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(3) उक्त नियमों के नियम 96ष में, खण्ड (i) में, "सात दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "दस दिन के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 216/72]
के० विश्वनाथन, अवर सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd November, 1972.

G.S.R. 1469. — WHEREAS certain draft rules further to amend the Explosives Rules, 1940, were published, as required by Section 18 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), at page 2713 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 10th July, 1971, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. G.S.R. 1012, dated the 10th June, 1971, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 10th July, 1971;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 10th July, 1971;

AND WHEREAS the date specified above for the purpose of inviting objections and suggestions on the said draft was extended to the 15th April, 1972, by the notification of the Government of India in the Ministry of Indusrial Development, No. G.S.R. 308, dated the 11th March, 1972, published at page 753 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th March, 1972;

AND WHEREAS the said latter Gazette was made available to the public on the 11th March, 1972;

AND WHERFAS no objections or suggestions have been received from the public;

"Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 5 and 7 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 1940, namely:—

1. (i) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 1972.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 1940, in rule 35, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) 10,000 Kgs. or 75 per cent of the carrying capacity of the van licensed by the Regional Transport Authority, whichever is less, in any one carriage other than a railway wagon:

Provided that if the explosives to be transported is of the 2nd Class, the quantity of explosives shall not exceed 15,000 Kgs. or 75 per cent of the carrying capacity of the van, whichever is less."

[No. 11(19)/72-GI (II)]
C. BALASUBRAMANIAN, J. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1469.—यतः विस्फोटक नियम 1940 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1012, तारीख 10 जून, 1971 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 10 जुलाई, 1971 के पृष्ठ 2713 पर प्रकाशित किए गए थे, जिन में 10 जुलाई, 1971 तक उससे सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 10 जुलाई, 1971 को उपलब्ध करा दिया गया था।

और यतः उक्त प्रारूप पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के

प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 308,तारीख 11 मार्च, 1972 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 11 मार्च, 1972 के पृष्ठ 783 पर प्रकाशित हुए थे, 15 अप्रैल, 1972 तक बढ़ा दी गई थी;

और यतः पश्चात्वर्ती उक्त राजपत्र, जनता को 11 मार्च, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक नियम, 1940 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

"1. (1) इन नियमों का नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 1940 में, नियम 35 में खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) रेल वैगन से भिन्न किसी भी गाड़ी में, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त वैन की वहनधारिता का 75 प्रतिशत या 10,000 किलोग्राम, जो भी कम हो, परन्तु परिवहन किया जाने वाला विस्फोटक यदि द्वितीय श्रेणी का हो तो विस्फोटक की मात्रा 15,000 किलोग्राम या वैन की वहन-धारिता का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।"

[सं 11 (19)/71—एल आई (ii)]
सी० बालगुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th October, 1972.

G.S.R. 1470. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes he following rules further to amend the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Foreign Srvice (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, for rule 20, the following rule shall be substituted; namely :—

"20 **Interpretation :** If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Central Government."

[No. 140/GA/72]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1972

सा० का० नि० 1470.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा, नियम 1961 (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. (1) ये नियम भारतीय विदेश सेवा (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय विदेश सेवा (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम 1961 के नियम 20 की जगह निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :—

"20 **व्याख्या** : इन नियमों की व्याख्या को लेकर यदि कोई मतभेद होगा तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार करेगी।"

[सं० 140/जी०ए०/72]

G.S.R. 1471. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, for rule 30, the following rule shall be substituted, namely :—

'30. **Interpretation:** If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government."

[No. 141/GA/72]
B. P. AGARWAL, Dy. Secy

सा० का० नि० 1471.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा 'ख' नियम 1964 (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) में और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; यथा :—

1. (1) ये नियम भारतीय विदेश सेवा 'ख' (भरती, संवर्ग वरीयता और पदोन्नति) संशोधन नियम 1972 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय विदेश सेवा 'ख' (भरती संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम 1964 के नियम 30 की जगह निम्नलिखित नियम रखा जायेगा।

"30 **व्याख्या** : इन नियमों की व्याख्या को लेकर यदि कोई मतभेद होता तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार करेगी।"

[सं० 140/जी०ए०/72]
बी० पी० अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 1st November, 1972.

G.S.R. 1472. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the

Directorate General of Health Services (Accountant) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Health Services (Accountant) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of the Schedule.**—In the Schedule to the Directorate General of Health Services (Accountant) Recruitment Rules, 1963, for the entry in column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"100 per cent by deputation of Assistants who have received training in Cash and Accounts work or who have to their credit five years' experience of Cash and Accounts work" (Deputation period normally not exceeding three years).

[No. A. 12018/11/72-Estt(P)]
R. N. SINHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

नईदिल्ली, 1 नवम्बर 1972

सा० का० नि० 1472.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (लेखा पाल) भरती नियमावली, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—**

1. इन नियमों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (लेखापाल) भरती संशोधन नियमावली 1972 कहा जाय।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **अनुसूची में संशोधन :—**

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (लेखापाल) भरती नियमावली 1963 की अनुसूची के कालम 12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय :—

"ऐसे सहायकों की शतप्रतिशत प्रतिनियुक्ति से जिन्होंने रोकड़ और लेखाकार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा जिन्हें रोकड़ और लेखा कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो :"

(प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)

[सं ए-12018/11/72-स्था-नीति]
रवीन्द्रनाथ सिनहा, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi, the 7th November, 1972

G.S.R. 1473. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III ministerial posts in the organisation of the Chief Pay and Accounts Officer, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Chief Pay and Accounts Officer's Organisation (Upper Division Clerks) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, classification thereof and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters connected therewith be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** — Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[No. A-12018/3/71-ES.II]
K. L. KOHLI, Under Secy.

SCHEDULE

Recruitement rules for the post of upper division Clerk in the Chief pay and Accounts Officer's Organisation

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Upper Division Clerk	(i) *Office of the Chief pay and Accounts Officer: New Delhi, comprising of:* 688 (a) Supply Wing, New Delhi.	General Central Service (Class III) Non-Gazetted Ministerial	130-5—160—8—200—EB-8—256—EB-8-280—10—300	Selection	Minimum 18 years, maximum 25 years	A University Degree

1	2	3	4	5	6	7
	(b) Food and Agriculture Wing, New Delhi. (c) Rehabilitation Wing, New Delhi. (d) Rehabilitation Wing, Mana Camp. (ii) *Office of the Deputy Chief Pay and Accounts Officer, Calcutta, comprising of :* 361 (a) Supply Wing, Calcutta. (b) Food and Agriculture Wing, Calcutta (iii) *Office of the Deputy Chief Pay and Accounts Officer, Bombay, comprising of :* 132 (a) Supply Wing, Bombay, (b) Food and Agriculture Wing, Bombay. (iv) *Office of the Deputy Chief Pay and Accounts Officer, Madras, comprising of :* 82 (a) Supply Wing, Madras (b) Food and Agriculture Wing, Madras					

Notes: (1) Posts in each office as indicated above will constitute a separate cadre for the purpose of recruitment, confirmation, promotion.

(2) The number of posts may be increased or decreased according to the exigencies of work.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion or by transfer/ deputation and the percentage of vacancies to be filled by various methods.)	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No	(1) *Direct Recruits*: Two years. After completion of one year's service the Government servant will be required to pass the Departmental Examination in two consecutive chances. Failing this, the probationary period may be extended by one year allowing him two more chances for passing the said examination. (2) *Promotee* : Two years. A promotee will have to pass the Departmental Confirmatory Examination in four chances, failing which he will be reverted. If an examination is held within 90 days of his promotion, he may not take that examination.	(1) (a) 80% by direct recruitment. (b) Such Lower Division Clerks who pass Subordinate Accounts Services Examination Part I will also be appointed against 80% direct recruitment vacancies. The conditions of educational qualifications, age limits and probation prescribed for the direct recruits will not be applicable in their case. (2) 20% by promotion.	Lower Division Clerks who have put in a minimum of 5 years' Service.	Class III DPC	Not applicable.

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1972

सा०का०नि० 1473—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद् द्वारा मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के संगठन में तृतीय श्रेणी के लिपिकवर्गीय पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) ये नियम मुख्य वेतन लेखा अधिकारी संगठन (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त माने जाएंगे ।

2. लागू होना :

ये नियम, इन नियमों के साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं :

उक्त पद के संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु-सीमा को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के उम्मीदवारों की दशा में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल किया जा सकता है ।

5. निरर्हताएं :

कोई भी व्यक्ति:

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित है, या

(ख) जिसने अपनी पत्नी । अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर, और जिस व्यक्ति से विवाह किया जाता है, उस पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो यह इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

6. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां पर ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखन द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकती है ।

7. छूट :

इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[सं० ए-12018/3/71-स्थापना-2]

कृष्ण लाल कोहली, अवर सचिव

अनुसूची

(मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक के पद के भर्ती नियम)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सभी	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं ।
1	2	3	4	5	6	7
उच्च श्रेणी लिपिक	(1) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली, जिसमें ये शामिल हैं : 688 (क) पूर्ति स्कन्ध, नई दिल्ली (ख) खाद्य तथा कृषि स्कन्ध, नई दिल्ली (ग) पुनर्वास स्कन्ध, नई दिल्ली (घ) पुनर्वास, स्कन्ध, माना कैम्प (2) उप मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, कलकत्ता, जिसमें ये शामिल हैं : 361	सामान्य केन्द्रीय सेवा (श्रेणी 3) अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	130-5-160-8-200 द० रो०-8-256 द० रो०-8-280-10-300 रु०	प्रवरण	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	विश्वविद्यालय की डिग्री

1	2	3	4	5	6	7
	(क) पूर्ति स्कन्ध, कलकत्ता (ख) खाद्य तथा कृषि स्कन्ध, कलकत्ता					
	(3) उप मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, बम्बई, जिसमें ये शामिल हैं : 132 (क) पूर्ति स्कन्ध, बम्बई (ख) खाद्य तथा कृषि स्कन्ध, बम्बई					
	(4) उप मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, मद्रास, जिसमें ये शामिल हैं : 82 (क) पूर्ति सकन्ध, मद्रास (ख) खाद्य तथा कृषि स्कन्ध, मद्रास					

टिप्पणी 1 : प्रत्येक कार्यालय में उपरोक्त पदों पर भर्ती स्थाई होने, तथा प्रोन्नति के लिए एक अलग ।डर होगा

टिप्पणी 2 : पदों की संख्या को कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नता की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति (क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या अन्तरण । प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी) तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति । प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति । प्रतिनियुक्ति अन्तरण किया जायेगा	यदि विभागी प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिन में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेंगा ।
8	9	10	11	12	13
नहीं	(1) **सीधी भर्ती वाले** : 2 वर्ष । 1 वर्ष की सेवा के पूरा होने पर सरकारी कर्मचारी को निरन्तर दो अवसरों में विभागीय परीक्षा को पास करना आवश्यक होगा । ऐसा न होने पर, उसके परिवीक्षा काल को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ताकि वह परीक्षा पास करने के लिए दो और अवसर प्राप्त कर सके । (2) **प्रोन्नत** : दो वर्ष । प्रोन्नतकों विभागीय, स्थायीकरण परीक्षा चार अवसरों में उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा न होने पर उसे पदावनत कर दिया जायेगा । यदि उसकी प्रोन्नति के बाद 90 दिन के अन्दर ही कोई परीक्षा होती है, तो वह उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं भी हो सकता है ।	(1) (क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ख) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा (एस० ए० एस०) परीक्षा खण्ड 1 पास करली है, उन्हें भी 80 प्रतिशत सीधी भर्ती की रिक्तियों में नियुक्त किया जा सकेगा । सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, तथा परिवीक्षा की शर्तें इनके मामलों में लागू नहीं होंगी । (2) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।	श्रेणी 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 4th November, 1972.

G.S.R. 1474. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend further the Agricultural Prices Commission (Class III & Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Agricultural Prices Commission (Class III and IV Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Agricultural Prices Commission (Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in the entries relating to the post of "Superintendent" :—

(i) in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by Transfer/Transfer on deputation.";

(ii) in column 11, for the entry, the following entries shall be substituted, namely :—

"Promotion from U.D.Cs. in the Agricultural Prices Commission with a minimum of 8 years service in that grade.

OR

Transfer/Transfer on deputation of Assistants of the CSS and Stenographers, Grade II of CSSS with a minimum of 5 years' service in that grade (period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).

[No. A-47028/1/72-EE. III]
R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

कृषि विभाग

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1474.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मूल्य आयोग (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1968 में पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम कृषि मूल्य आयोग (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि मूल्य आयोग (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1968 में,

अधीक्षक के पद से सम्बद्ध प्रविष्टियों में,—

(i) स्तम्भ 10 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात :—

"प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण"

(ii) स्तम्भ 11 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

कृषि कीमत आयोग के उच्च श्रेणी लिपिकों में, जिनकी उस ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष की सेवा हो, से प्रोन्नति या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के आशुलिपिक ग्रेड II जिनकी ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष सेवा हो, स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

रा० सुब्रह्मणियम, अवर सचिव

[सं०ए-47028/1/72 -बाह्य स्थापना 3]

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 31st October, 1972.

G.S.R. 1475.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) (Recruitment to certain Class I posts in the General Central Service) Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) (Recruitment to certain Class I posts in the General Central Service) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the inistry of Education and Social Welfare (Department of Education) (Recruitment to certain Class I posts in the General Central Service) Rules, 1971 :—

(i) against item 1, in column 11 under the heading 'Promotion' after the words "Education Officer", Adviser" the brackets and word '(General)' shall be inserted.

(ii) against item 2 in column 11 under the heading 'Promotion' after the words "Education Officer", the brackets and word '(General)' shall be inserted.

[No. A. 12011/13/72-E.I]
K. K. BAKSI, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1972

सा० का० नि० 1475.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) (सामान्य केन्द्रीय सेवा में श्रेणी I के कुछ पदों पर भर्ती) नियम 1971 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) (सामान्य केन्द्रीय सेवा में श्रेणी I के कुछ पदों पर भर्ती संशोधन नियम 1972 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से ये लागू होंगे।

2. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) (सामान्य केन्द्रीय सेवा में श्रेणी I के कुछ पदों पर भर्ती) नियम 1971 की अनुसूची में :—

(1) मद सं० 1 में कालम 11 में "पदोन्नति" शीर्षक के नीचे "सहायक शिक्षा सलाहकार" शब्दों के बाद कोष्ठक तथा '(सामान्य)' शब्द रखे जायें।

(2) मद सं० 2 में कालम 11 में "पदोन्नति" शीर्षक के नीचे "शिक्षा अधिकारी" शब्दों के बाद कोष्ठक तथा '(सामान्य)' शब्द रखे जायं।

[(सं० ए० 12011/13/72-ई०I)]

के० कु० बक्शी, अवर सचिव

(Department of Social Welfare,)

New Delhi, the 2nd November, 1972.

G.S.R. 1476. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Translator in the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Hindi Translator (Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gabzette.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay etc.**—The number of posts, classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualification:**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Whether the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[No. 3/2/70-SCT(I)]

J. P. SAXENA, Under Secy.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational qualification required.
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Translator	1	General Central Service Class III Ministerial (Non-Gazetted).	Rs. 210—10-290-15-320-EB-15-425.	Not applicable	21—30 years	*Essential* (1) Degree of a recognised University with Hindi and English as elective subjects. (2) At least 2 years, experience in translation from Hindi to English and *Vice versa*.

Whether age and educational qualification prescribed for the direct rebruit will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment by direct recruitment or by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion. deputation/ transfer grades from which promotion, transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By deputation or transfer; failing which by direct recruitment.	In case of deputation or transfer, selection from Upper Division Clerks or Lower Division Clerks of the CSCS or Grade III of the CSSS, with a minimum service of five years in the grade, and possessing the essential educational qualifications prescribed in column 7 (Period of deputation not exceeding 3 years.	Not applicable	Not applicable

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-दिनांक 2 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० संख्या 1476—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :— (1) इन नीयमों का नाम हिन्दी अनुवादक (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3 **भर्ती के पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थकों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

4. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी

6. **व्यावृत्ति** :— इन नीयमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

सं 3/2/70 एम०सी०टी०

जे० पी० सक्सेना अवर सचिव

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अनुवादक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3 अनु-सचिवीय (अराजपत्रित)	210-10 290 15-320 द०रो० 15-425रु०	लागू नहीं	21-30 वर्ष	**अनिवार्य** : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री हिन्दी और अंग्रेजी वैकल्पिक विषयों के रूप में । 2. हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति (भर्ती सीधी होगी या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा वैसा न	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में केन्द्रीय सचिवालय	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11	12	13
		होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	केन्द्रीय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों या निम्न श्रेणी लिपिकों अथवा केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर सेवा के ग्रेड 3 से, उस ग्रेड में पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ तथा स्तम्भ 7 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं रखने वालों का चयन किया जाएगा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

(Department of Culture)

New Delhi, the 2nd October, 1972

G.S.R. 1477.—In exercise of the powers conferred by the section15A of the Indian Museum Act, 1910 (10 of 1910) and in consultation with the Trustees of the Indian Museum, Calcutta, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indian Museum Rules 1970, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Museum (Amendment) Rules, 1972.

(2) In the Indian Museum Rules, 1970, in rule 5,—

(i) for the marginal heading "Appointment"—, the marginal heading "Appointment etc."—shall be substituted;

(ii) in the opening sentence of sub-rule (2), for the word "Appointment", the words "Appointments, promotions and confirmations" shall be substituted.

[No. 11-8/72-CAI(5)]
BALDEV MAHAJAN, Under Secy.

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

सा. का. नि. 1477.—भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 (1910 का 10) की धारा 15 ए. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासियों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय संग्रहालय नियम, 1970 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

(1) इन नियमों को भारतीय संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाए ।

(2) भारतीय संग्रहालय नियम, 1970 में नियम 5 में, —

(1) हाशिया शीर्षक "नियुक्ति" के स्थान पर हाशिया शीर्षक "नियुक्ति इत्यादि" रखा जाए ।

(2) उप-नियम (2) के शुरू के वाक्य में "नियुक्तियां" शब्द के स्थान पर "नियुक्तियां, पदोन्नतियां और स्थायीकरण" शब्द रखे जाएं ।

[सं. 11-8/72 सी. ए. आई. (5).]
बलदेव महाजन, अवर सचिव ।

New Delhi, the 4th October, 1972

G.S.R. 1478.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Central Secretariat Library, in the Department of Culture, namely:—

1. *Short Title and Commencement*—(1) These rules may be called the Department of Culture (Director, Central Secretariat Library) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official gazette.

2. *Number, Classification and Scale of pay.*—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed herewith.

3. *Method of recruitment, age limit and other qualifications.*—The method of recruitment, age limits qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment in Column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

4. *Disqualification.—No person—*

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. *Powers to relax.*—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. *Saving of Concessions to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.*—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[No. A. 12011-11/71-E.I./E&C]
UMA DATT, Under Secy.

Amendment Rules for the post of Director, Central SecretariatLibrary in Department of Culture (In Ministry of Education and Social welfare)

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Director, Central Secretariat Library.	1	General Central Service Class-I Gazetted.	Rs. 1800-100-2000.	Not applicable.	50 years (Relaxable for Government servants).	*Essential :* (i) Master's degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Library Science of a recognised University or Institution or equivalent. (2) About 15 years administrative and organising experience in a library of standing. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).	Not applicable.

Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13
2 years	By transfer or by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer/by transfer on deputation :* Officers holding equivalent posts under the Central or State Governments having been appointed to the posts on a regular basis. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 3/5(24)/71-RR]

M. B. NAIR, Under Secy.

Union Public Service Commission.

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1972

सा० का० नि० 1478.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, संस्कृति विभाग में केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के निदेशक के पद के लिए भर्ती की प्रणाली का नियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों को संस्कृति विभाग (निदेशक, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय) भर्ती नियम, 1972 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में इनके छपने की तारीख से ये लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे जैसे कि इसके साथ संलग्न सूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा और अन्य योग्यताएं

भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, योग्यताएं और इससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जैसे कि उक्त सूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उक्त सूची के कालम 6 में निर्धारित उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जाए।

4. अयोग्यताएं :—कोई भी ऐसा व्यक्ति—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करता/करती है जिसकी पत्नी अथवा जिसका पति जीवित हो, अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करती/करता है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह को अन्य पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए कुछ अन्य आधार है, किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे दे।

5. **रियायत देने के अधिकार**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए वह आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित इन नियमों के किसी भी उपबंध में रियायत दे सकती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रियायतों का रक्षण

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों और आरक्षणों को इन नियमों में से कोई भी प्रभावित नहीं करेगा।

[सं० ए० 12011-11/71-ई० I ई० और सी०]

उमा दत्त, अवर सचिव

अनुसूची

संस्कृति विभाग (शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय) में केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के निदेशक के पद के लिए

भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण	प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए आयु	प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 1 राजपत्रित	1800-100-2000 रु०	लागू नहीं होता	50 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	**अनिवार्य** :— (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री अथवा समकक्ष। (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था के पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा समकक्ष। (2) विख्यात पुस्तकालय में लगभग 15 वर्षों का प्रशासकीय और प्रबंध-अनुभव। (सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट)	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
परीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की प्रणाली प्रत्यक्ष भर्ती या प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा नियुक्ति के मामले में उन ग्रेडों का उल्लेख जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादला किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनके अधीन भर्ती करने के विषय में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
2 वर्ष	तबादले द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा ऐसा न होने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।	तबादला/प्रतिनियुक्ति पर तबादला वे अधिकारी जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन समतुल्य पदों पर हैं और इन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किये गये हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्षों से अधिक नहीं)	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।

[संख्या 3/5(24)/71-आर० पी०]
एम० वी० नायर, अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

(Department of Science & Technology)

New Delhi, the 2nd November, 1972.

G.S.R. 1479.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Atlas Organisation (Class IV posts) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Atlas Organisation (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Atlas Organisation (Class IV posts) Recruitment Rules, 1972, in the Schedule, after Serial No. 5 "Khalasi", and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

"here enter the details of S. No. 6 from the enclosed Schedule".

[No. 1-19/72-Sur. 2.]
KAMAL PANDE, Under Secy.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
6. Library Attendant	2	General Central Service, Class IV, non-gazetted.	Rs. 75-1-85-EB-2-95	Non-selection	18-25 years	*Essential :* (i) Middle School standard pass with English (ii) *Previous experience* of 3 years in a Library. *Desirable :* Knowledge in book-binding.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age-No. Educational qualification Yes	2 years.	100% by promotion failing which by direct recruitment.	*Promotion* from Peon and Technical Labourer (Unskilled) with 3 years' service in the grade.	Class III and IV D.P.C.	Not applicable

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

सा. का. नि. 1479 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस संस्था (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय एटलस संस्था (वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय एटलस संस्था (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 में, अनुसूची में, क्रम सं. 5 "खलासी", और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

"यहां संलग्न अनुसूची से 6 के ब्यौरे दें ।"

[सं. 1—19/72 - सर्वे - 2]

कमल पांडेय, अवर सचिव

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
6 पुस्तकालय परिचर	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित	75–1–85–द०रो०–2–95 रु०	अचयन	18–25 वर्ष	**आवश्यक** (i) अंग्रेजी के साथ मिडिल स्कूल स्टेंडर्ड उत्तीर्ण । (ii) किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का पूर्व अनुभव । **वांछनीय** जिल्दसाजी का ज्ञान ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु–नहीं शैक्षिक अर्हताएं – –हां	दो वर्ष	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चपरासी और तकनीकी श्रमिक (अकुशल) से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो, **प्रोन्नति** 1	वर्ग 3 और 4 वि० प्रो० स०	लागू नहीं होता

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraph Board)

New Delhi, the 1st November 1972

G.S.R. 1480.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely—

1. (1) These rules, may be called the Indian Telegraph (Tenth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the first day of December, 1972

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 451 for item B and the table thereunder, the following item and table shall be substituted, namely :—

"B Charges for Higher priority trunk calls shall be Lalculated as follows :—

Priority	Charges
(i) SHV Calls	Same rate as for ordinary calls provided that where the SVH call is used for a purpose other than that contemplated by such a call it should be charged at the highest rate applicable in the service.
(ii) Urgent calls	Double the rate for ordinary calls.
(iii) Lightning calls	Eight times the rate for ordinary calls.
(iv) Most Immediate, Operations Immediate, Immediate and Important calls booked by authorised official of Government Departments.	Four times the rate for ordinary Lalls."

[No. 3-9/72-R]

B. H. SHANTA, Director of Phones (Traffic)

संचार मंत्रालय

(डाक–तार बर्ड)

नई दिल्ली, नवम्बर 1972

सा०का०नि० 1480 .–भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(ii) ये 1-12-1972 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में, नियम 451 में, मद ख और उसके अन्तर्गत दी गई सारणी के स्थान पर निम्नलिखित मद और सारणी रखी जाएगी, अर्थात':—ख—उच्चतर पूर्विकता वाले ट्रंक कालों के लिए प्रभार निम्नलिखित रूप में संगणित किए जाएंगें :—

अग्रता	शुल्क
(1) एस० वी० एच० कालें	वही दरें, जो मामूली कालों के लिए होती हैं, परन्तु जहां एस० वी० एच० काल का उपयोग, जिस प्रयोजन के लिए यह काल की जाती है उसके अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किये जाने पर, उसका प्रभार सेवा में लागू उच्चतम दर से वसूल किया जाए।
(2) अर्जेन्ट कालें	मामूली कालों से दुगुनी दर ।
(3) तड़ित कालें	मामूली कालों से आठ गुना दर ।
(4) सरकारी विभागों के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा बुक की गई अतितात्कालिक, प्रचालन तत्काल, तत्काल और महत्वपूर्ण कालों के लिए ।	मामूली कालों से चार गुना दर ।

बी० एच० शान्ता

निदेशक-फोन (परियात)

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th October, 1972.

G.S.R. 1481.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), and in supersession of the Notification of the Government of Bombay in the Political Department No. 6204 dated the 6th June, 1930, the Central Government hereby declares that the limits of the port of Bombay shall be as follows :—

To the North.—From the boundary pillar south-west of and near to the village of Trombay the shore of Trombay Island to Pir Pau, thence the shore of Trombay Island to the boundary pillar situated in Survey No. 42 of Anik Village, and thence a line cross the Mahul Creek to the boundary pillar situated on the south bank of Chandni Creek.

To the West.—The esttern shore of the Island of Bombay from the boundary pillar situated on the south bank of the Chandni Creek to the Southern extremity of Colaba point, thence the shore of Back Bay to Malbar Point, thence a line drawn to the Bombay Floating Light at a position approximately Lat. 18° 50′ North, Long. 72° 44′ East, and continued to the boundary pillar on the west point of Kundari (Kennery) Island and thence the western shore of the Island to the boundary pillar on the South point thereof.

To the south.—A line drawn from the boundary pillar on the south point of Kundari (Kennery) through the South point of Undari to the boundary pillar on the mainland south of the village of Navagam (Nevedar Navgaon).

To the East.—From the boundary pillar situated south of Navagam (Nevedar Navgaon) the western and northern shore of the mainland to the boundary pillar north-east of the Thull Knob Beacon, then a line across the Dharamtar Creek to the boundary pillar on the south end of the Island of Karanja thence the western shore of the Island of Karanja to the boundary pillar situated at the northern-most point of the Island, thence 1,200 metre along a line from the boundary pillar situated at the northern point of the Karanja Island to the boundary pillar on the north-west point of Hog Island, thence a line across the Uran Mud Flats to a position approximately Lat. 18"-50′-54" N. Long. 72 -56 -30 " E., on the north shore of Karanja Island, thence along the northern shore of Karanja Island to the bridge on Panvel-Uran Road at a position approximately Lat. 18"-55′-42" No. Long. 73°-0′-30" E., thence a line along the bridge across the creek to the shore on the nrth bank of the creek and thence the southern, western and northern shore of the mainland to a position approximately Lt. 18°-58′-54" N. Long. 73°-1′-12" E. on the north shore of Nhava and thence a line across the Panvel and Thana Creeks to the boundary pillar south-west of and near to Trombay village.

Port limits are extended to and include all water and land usually covered by water within the Prince's, Victoria and Alexandra Docks and any extension of the Docks.

NOTE:—The word "shore" is intended to mean the high water mark as defined in the Indian Ports Act, 1908, section 4(4), i.e., the highest point reached by ordinary spring tides at any season of the year.

[No. 8-PGA(104)/70-I]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नयी दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1972

सा०का०नि० 1481.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुम्बई सरकार के राजनीतिक विभाग की अधिसूचना संख्या 6204 तारीख 6 जून, 1930 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि मुम्बई पत्तन की निम्नलिखित सीमाएं होंगी :

उत्तर में : ग्राम ट्रांम्बे के निकट और उसके दक्षिण-पश्चिम के सीमा स्तंभ से ट्राम्बे द्वीप का तट पीरपाऊ तक, वहां से ट्राम्बे द्वीप का तट अनिक ग्राम की सर्वेक्षण संख्या 42 में स्थित सीमा स्तम्भ तक और वहां से माहुल सकरी खाड़ी के पार चांदनी मकरी-खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित सीमा स्तम्भ तक एक लाइन ।

पश्चिम में : चांदनी मकरी खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित सीमा स्तम्भ से मुम्बई द्वीप का पूर्वी तट कोलाबा प्वाइंट के घुर दक्षिण तक, वहां से मालाबार प्वाइंट तक बैकवे का तट, वहां से लगभग 18°–50′ अक्षांश उत्तर, 72°–44′ देशान्तर पूर्व की स्थिति में मुम्बई फलोटिंग लाइट तक खींची गई एक लाइन, और कुंडारी (कन्हारी) द्वीप का पश्चिमी प्वाइंट पर सीमा स्तम्भ तक जाती है और वहां से द्वीप का पश्चिमी तट उसके दक्षिणी प्वाइंट पर सीमा स्तंभ तक ।

दक्षिण में : कुंडारी (कन्हारी) के दक्षिणी प्वाइंट पर सीमा स्तंभ से उंडारी प्वाइंट के दक्षिण से जाती हुई ग्राम नवगांव (नवेदेव नवगांव) के दक्षिण में मुख्य भूमि पर सीमा स्तंभ तक खींची गई लाइन ।

पूर्व में : नवगांव (नवेदेव नवगांव) के दक्षिण में स्थित सीमा स्तंभ से मुख्य भूमि का पश्चिमी और उत्तरी तट थुलनोद बीकन के उत्तर-पूर्वी सीमा स्तम्भ तक, वहां से धरमातार मकरी खाड़ी के पार करंजा द्वीप के दक्षिणी सिरे पर सीमा स्तंभ तक, वहां से करंजा द्वीप का पश्चिमी तट द्वीप के घुर उत्तरी प्वाइंट पर स्थित सीमा स्तम्भ तक, वहां से करंजा द्वीप के उत्तरी प्वाइंट पर स्थित सीमा स्तंभ से होग द्वीप के उत्तरी-पश्चिमी प्वाइंट पर सीमा स्तंभ तक किनारे किनारे बारह सौ मीटर की लाइन, वहां से उड़ानमुद फ्लैट्स के पार करंजा द्वीप के तट के उत्तर से लगभग 18°–53′–54″ अक्षांश उत्तर, 72°–56′–30″ देशान्तर पू० की स्थिति में लाइन फिर पालवेल उरान रोड़ पर पुल तक लगभग 18°–55′–42″ अक्षांश उत्तर 73°–0′–30″ देशान्तर पूर्व की स्थिति में करंजा द्वीप के उत्तरी तट के किनारे-किनारे फिर मकरी खाड़ी के पार मकरी खाड़ी के उत्तरी किनारे के तट तक पुल के साथ-साथ लाइन और फिर मुख्य भूमि का दक्षिणी-पश्चिमी और उत्तरी तट, नेवा तट के उत्तर में लगभग 18°–58′–54″ अक्षांश उ० 73°–1′–12″, देशान्तर पू० की स्थिति तक और वहां से पानवेल और थाना सकरी खाड़ी के पार ट्राम्बे ग्राम के निकट और उसके दक्षिण-पश्चिम के सीमा स्तंभ तक ।

पत्तन सीमाओं का विस्तार और उनके अन्तर्गत सभी जलक्षेत्र उस भूमि तक है जो प्रिंसिस विक्टोरिया और अलैकजेंडर डौक्स तथा डौक्स के किसी भी विस्तार के अन्तर्गत प्रायः जल से ढकी रहती है ।

टिप्पण :— तट शब्द से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 धारा 4(4) में यथा परिभाषित उच्च जल चिन्ह, अर्थात्—वर्ष के किसी भी मौसम में सामान्य वृहत्, ज्वार का उच्चतम प्वाइंट, अभिप्रेत होना आशयित है ।

[सं० 8–पी०जी०ए०/(104)/70–I]

G.S.R. 1482.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), and in supersession of the notifications dated the 15th June, 1878 and the 31st July, 1917, issued by the then Government of Bombay, Marine Department, the Central Government hereby specially extends, with effect from the 28th October, 1972, the provisions of section 31 and section 32 of the said Act to the Port of Bombay, the precise extent of the limits whereof has been declared in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. 8-PGA(104)/70-I dated the 28th October, 1972.

[No. 8-PGA (104)/70-II]

सा०का०नि० 1482.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन सामुद्रिक विभाग, मुम्बई सरकार द्वारा जारी की गई 15 जून, 1878 और 31 जुलाई, 1917 की अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28–10–72 से उक्त अधिनियम की धारा 31 और 32 के उपबन्धों का मुम्बई पत्तन, जिसकी ठीक सीमाएं भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना संख्या 8–पी०जी०ए० (104)/70–I तारीख 28–10–72 घोषित कर दी गई हैं, तक विशेष रुप से विस्तार करती है ।

[सं 8-पी० जी० ए०/(104)/700-II]

G.S.R. 1483.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby withdraws the provisions of section 31 of the said Act from such part of the area of the Port of Bombay [to which the provisions of the said section have been extended in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. 8-PGA(104)/70-II, dated the 28th October, 1972] as lies to the south of a line drawn from east to west, through the Prongs lighthouse.

[No. 8-PGA (104)/70-III]
K. L. GUPTA, Dy. Secy.

सा०का०नि० 1483—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबन्धों को मुम्बई पत्तन के क्षेत्र के जहां तक उक्त धारा के उपबन्ध भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना संख्या 8–पी० जी० ए० (104)/70–II तारीख 28-10-72 द्वारा विस्तारित कर दिये गये है/ऐसे भाग से जो प्रोंग्स द्वीप स्तम्भ के बीच से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा के दक्षिण में हैं, प्रत्याहृत करती है ।

[सं० 8–पी० जी० ए० (104)/70–III]
के० एल० गुप्ता, उप सचिव,

New Delhi, the 2nd November, 1972

G.S.R. 1484. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Development Adviser's Organisation (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1965, published with the notification of the Government of India No. GSR 777, dated the 22nd May, 1965, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Devlopment Adviser's Organisation (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. In the Development Adviser's Organisation (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1965, for the entry in column 11 of the Schedule relating to the post of Director (Designs), the following shall be substituted, namely :—

"PROMOTION

Senior Deputy Director (Designs) Technical P.A. to Development Adviser/Executive Engineer (Civil) in Development Adviser's Organisation with five years service in the grade.

TRANSFER/DEPUTATION

Officers holding analogous posts under the Central/State Government (period of deputation not to exceed 5 years)".

[No. (E-12(7)/72)]

J. K. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 1484.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 777, दिनांक 22 मई, 1965 में प्रकाशित विकास सलाहकार संगठन (वर्ग I तथा वर्ग II इंजीनियरी पद) भर्ती नियम, 1965 में संशोधन करने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) ये नियम, विकास सलाहकार संगठन (वर्ग I तथा वर्ग II इंजीनियरी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विकास सलाहकार संगठन (वर्ग I और II इंजीनियरी पद) भर्ती नियम, 1965 में निदेशक (डिजाइन) के पद से सम्बन्धित अनुसूची के स्तम्भ II की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"पदोन्नति

विकास सलाहकार संगठन में वरिष्ठ उप-निदेशक (डिजाइन) विकास सलाहकार के तकनीकी वैयक्तिक सहायक/कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) जिसकी वर्ग में पांच वर्ष की सेवा हो ।"

अन्तरण/प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन समान पद धारण करने वाले अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

[सं० ई–12(7)/72)]

जे० के० भट्टाचार्य, उप सचिव

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1970

सा० का० नि० 1485.—यतः भारतीय विद्युत निगम, 1956 का अतिरिक्त संशोधन करने के लिए, कुछ प्रारूप नियम, भारत सरकार, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (केन्द्रीय विद्युत बोर्ड) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1388 ता० 1 सितम्बर, 1966 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i) ता० 17 सितम्बर, 1966 में और सं० सा० का० नि० 1127, ता० 15 जुलाई, 1967 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i), ता० 29 जुलाई, 1967 में, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 38 की उपधारा (i) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिनमें क्रमशः 1966 की 1 दिसम्बर तथा 1967 की 31 अक्तूबर तक उन सब व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिन पर उनका प्रभाव पड़ सकता था ;

और यतः उक्त राजपत्र, क्रमशः 20 सितम्बर, 1966 और 1 अगस्त, 1967 को जनता के लिए सुलभ कर दिए गए थे;

और यतः उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड, भारतीय विद्युत् नियम, 1956 का अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय विद्युत नियम, 1956 में—

(1) नियम 2 के उप नियम (1) में—

(क) खंड (कघ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कघ) "न्यूट्रल कंडक्टर", से बहु-तार-प्रणाली का वह कंडाक्टर अभिप्रेत है जिसकी वोल्टता उसी प्रणाली के अन्य कंडक्टरों की वोल्टताओं के बीच प्रसामान्य रूप से मध्यवर्ती है और इसके अन्तर्गत एकल फेज प्रणाली का प्रतिवर्ती तार भी है' ;

(ख) खण्ड (कघ) में "जगह" शब्द के स्थान पर 'हवा' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) नियम 5 के उप-नियम (3), नियम 9 और 10, नियम 32 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग), नियम 49 के उप-नियम (1) और नियम 61 के उप-नियम (6) में, "निरीक्षक" शब्द के पश्चात् जहां कहीं भी वह आता हो, "या निरीक्षक की सहायता करने के लिए नियुक्त और राजपत्रित रैंक रखने वाला कोई अधिकारी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(3) नियम 7 के उप-नियम (2) में, "निरीक्षक" शब्द के पश्चात् "या निरीक्षकों की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगें ;

(4) नियम 25 में, "929.03 वर्ग से० मी० (वर्ग फुट)" अंकों, संक्षेपाक्षरों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "1000 वर्ग से० मी०" अंक और संक्षेपाक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(5) नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"29. विद्युत प्रदाय लाइनों और यंत्रों का निर्माण प्रतिष्टापन संरक्षण, प्रचालन और उन्हें बनाए रखना—

(1) सब विद्युत् प्रदाय लाइनें और यंत्र इतनी शक्ति और आकार के और इतना यंत्र बल रखने वाले होंगे जो उस काम के लिए जो उनसे लिया जाना है पर्याप्त हो और वे ऐसी रीति से निर्मित, और संस्थापित किए जाएंगें, उन्हें संरक्षित रखा जाएगा उनसे काम लिया जाएंगे और उन्हें बनाए रखा जाएगा जिससे खतरे का निवारण हो सके।

(2) इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, भारतीय मानक संख्या की यदि कोई सुसंगत पद्धति विषयक संहिता हो, तो उस का पालन इस नियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकेगा और किसी असंगति के पैदा होने पर इन नियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे।"

(6) नियम 31 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसके द्वारा प्रदाय कर्त्ता से उच्च और चरम वोल्टता पर उपयोग के लिए आशयित ऐसे किसी चालक या यंत्र की व्यवस्था जैसे कि नियम 64 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) और उप-नियम (2) के खण्ड (क) में निर्विष्ट हैं ऐसी जगह पर जो पहुंच के अन्दर हो, करने की अपेक्षा की गई है।"

(7) नियम 32 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए उस सुसंगत भारतीय मानक के प्रति निर्देश किया जाए जो स्विचगियर, बस-बार, मेन के साथ कनेक्शन और सहायक तार स्थापन के लिए चिन्ह लगाने और इंतजाम करने के सम्बन्ध में है।"

(8) नियम 44 के उप-नियम (1), नियम 46 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) और नियम 141 में, "निरीक्षक" शब्द के पश्चात् "या निरीक्षक की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगें।

(9) नियम 46 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) निरीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, उपाबन्ध 1×क में अन्तर्विष्ट निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूपों का उपयोग ऐसे फेरफार करके जैसे कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।"

(10) नियम 50 के उप-नियम (1) में,—

(i) खण्ड (ख) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर लिंक्ड स्विच वाला उपबन्ध, जनित्र के यूनिट सहायक ट्रांसफार्मर को लागू नहीं होगा।"

(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे प्रत्येक मोटर या मोटर समूह या अन्य यंत्र को जो किसी विशेष मशीन को चलाने के लिए हैं ऊर्जा के प्रदाय का नियंत्रण ऐसी जगह रखे गए उपयुक्त लिंक्ड स्विच, या सर्किट वियोजक या उपयुक्त क्षमता वाले मेनुअल रिसेट से युक्त आपात ट्रिपिंग युक्ति द्वारा किया जाता है, जो मोटर या मोटर समूह या अन्य यंत्र के पार्श्वस्थ हो जहां तक भारसाधक व्यक्ति, सुगमता से पहुंच सके या जो उसके द्वारा आसानी से संचालित किया जा सके सर्किट के साथ इस प्रकार से संपृक्त हो कि इसके द्वारा ऊर्जा का समस्त प्रदाय, मोटर या मोटर समूह या यंत्र से और किसी नियामक स्विच, प्रतिरोध या उसके साथ सहयोजित किसी अन्य युक्ति से काटा जा सके।"

(11) नियम 53 के उप-नियम (2) में, "निरीक्षक" शब्द के पश्चात्, जहां वह प्रथम बार आता हो, "या निरीक्षक की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगें।

(12) नियम 54 में "निम्न या मध्यम वोल्टता की दशा में 5 प्रतिशत से अधिक या उच्च या चरम उच्च वोल्टता की दशा में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) निम्न या मध्यम वोल्टता की दशा में 6 प्रतिशत से अधिक; या

(ii) उच्च वोल्टता की दशा में, उच्चतर साइड में 6 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर साइड में 9 प्रतिशत से अधिक; या

(iii) चरम उच्च वोल्टता की दशा में, 12.5 प्रतिशत से अधिक परन्तु उच्च वोल्टता की दशा में, वोल्टता में तब्दीली की 12.5 प्रतिशत सीमा 31 मार्च, 1974 तक जारी रह सकेगी।"

(13) उपाबन्ध V के विवरण संख्या II में—

(i) मद 'ङ' के नीचे, प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"7. प्रकीर्ण उपस्कर (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं)";

(ii) मद 'च' के नीचे, प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"9. प्रकीर्ण उपस्कार (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं") ;

(iii) मद 'छ' के नीचे प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"9. प्रकीर्ण उपस्कर (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं)"।

(14) उपाबन्ध VI में, शर्त 20 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"20. प्रदाय की प्रणाली—ऊर्जा का प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) निम्न वोल्टता-डाएरेक्ट करेंट, दो तार, या आलटर्नेट करेंट, एकल-फेज वाली, 50 साइकिल्स ;

(ii) मध्यम वोल्टता—डाएरेक्ट करेंट, तीन तार, या आलटर्नेट करेंट, तीन-फेजवाली, 50 साइकिल्स; और

(iii) उच्च वोल्टता—आलटर्नेट करेंट, तीन-फेजवाली, 50 साइकिल्स।"

(15) उपाबन्ध IX के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबन्ध अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबन्ध IX क

(नियम 46 देखिये)।

निरीक्षण रिपोर्ट के आदर्श प्ररूप

प्ररूप I

निरीक्षण रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत् नियम 1956 के नियम 46 के अधीन)

उपभोक्ता के निम्न वोल्टता संस्थापन

रिपोर्ट संख्या——————————निरीक्षण की तारीख——

——————चालान संख्या——————तारीख——————

————————निरीक्षण फीस——————रु०

अन्तिम निरीक्षण की तारीख——————————

1. उपभोक्ता संख्या——————————
2. वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली.
   (i) वोल्ट——————————
   (ii) फेजों की संख्या ——————————
   (iii) ए सी/डी सी——————————
3. तार स्थापन का प्रकार——————————
4. उपभोक्ता/स्वामी का नाम——————————
5. उपभोक्ता/स्वामी का पता——————————
6. परिसर का अवस्थान——————————
7. संस्थापनों की विशिष्टियां——————————

संख्या संयोजित लोड किलोवाट में

I. (1) बत्ती के प्वाइंट —————— ——————
   (2) पंखे के प्वाइंट—————— ——————
   (3) प्लग के प्वाइंट—————— ——————

II. अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाए) :
   (1) ——————————
   (2) ——————————
   कुल संयोजित लोड किलोवाट में——————————
   अधिकतम करेंट जिसकी मांग है एम्पियरों में——————————
   (कुल संयोजित लोड के आधार पर)

III. जनित्र (उस दशा में जबकि ऊर्जा का जनन उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाता है) :
   (1) ——————————
   (2) ——————————

8. संस्थापन की साधारण शर्तें :—

भारतीय विद्युत् नियम 1956 का नियम	अपेक्षाएं	रिपोर्ट
1	2	3
29	(i) किसी भी मंत्र/तार स्थापन के प्रसंग में अतिलोडिंग का/के चिन्ह है/हैं ?	
	(ii) नम्य डोरियों, साकेटों, स्विचों, प्लगपिनों, कट-आउटों, और लैम्प होल्डरों और ऐसी ही अन्य फिटिंगों की दशा।	
	(iii) तार स्थापन की साधारण दशा।	
	(iv) बताइये कि क्या कोई अप्राधिकृत अस्थायी संस्थापन विद्यमान हैं।	
	(v) बताइए कि क्या साकेट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित हैं।	
	(vi) कोई अन्य त्रुटि या दशा जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो।	
30	ऐसी सेवा लाइनों, केबलों, तारों, यंत्रों और ऐसी अन्य फिटिंगों की दशा के संबंध में रिपोर्ट दीजिए जो परिसर के प्रदायकर्ता/स्वामी द्वारा लगाई गई हैं।	
31	क्या प्रदायकर्ता ने, उपभोक्ता के परिसर के अन्दर उपयुक्त कट-आउटों की व्यवस्था बन्द अग्निसह आधान के भीतर की है।	
32	(i) बताइए कि क्या स्विचों की व्यवस्था सक्रिय चालकों पर की गई है ?	
	(ii) बताइए कि स्थायी प्रकार के संकेत की व्यवस्था इस नियम के अनुसार की गई है जिससे न्यूट्रल चालक और सक्रिय चालक की पहचान हो सके।	
	(iii) क्या एकल फेज डबल पोल लोहावृत स्विचों की दशा में फ्यूज के बजाए न्यूट्रल के डाएरेक्ट लिंक की व्यवस्था की गई ?	
33	(i) बताइए कि क्या प्रदायकर्ता द्वारा भू संपर्कित टर्मिनल की व्यवस्था की गई है ?	
	(ii) क्या प्लग प्वाइंटों के लिए तीन पिन वाले प्लगों की व्यवस्था की गई है ?	
	(iii) भू-संपर्कन व्यवस्था की दक्षता पर रिपोर्ट दीजिए।	
49	परिसर पर क्षरण : चालकों और भू-संपर्क व्यवस्था के बीच विद्युतरोधी प्रतिरोध मेगओमों में बताइए।	
50	(i) बताइए कि क्या अपेक्षित क्षमता वाले लिंक्ड स्विचों की व्यवस्था प्रदाय के प्रारम्भ स्थलों के निकट की गई है।	
	(ii) बताइए कि क्या तार स्थापन का विभाजन इतने सर्किटों में किया गया है जितने उपयुक्त हों और क्या ऐसे प्रत्येक सर्किट की रक्षा उपयुक्त कट-आउट द्वारा की गई है।	
	(iii) बताइए कि क्या प्रत्येक मोटर या यंत्र के प्रदाय का नियंत्रण उपयुक्त लिंक्ड स्विच द्वारा किया गया है।	

1	2	3
	(iv) क्या यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि कोई भी सक्रिय भाग ऐसी पहुंच के अन्दर नहीं है जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है ?	
61	(i) क्या हर जनित्र स्थायी मोटर और जहां तक साध्य है सुवाह्य मोटर का फ्रेम और ऊर्जा को नियमित या नियंत्रित** करने के लिए प्रयुक्त सब अन्य यंत्रों के धात्विक भाग (जो चालकों के रूप में आशयित नहीं हैं) दो पृथक और सुभिन्न कनेक्शनों द्वारा भू-संपर्कित किए गए हैं ?	
	(ii) क्या भू-संपर्क तार यांत्रिक दोष से मुक्त है ?	
	(iii) तारनाली/सीसा मढ़े तार-स्थापन की दशा में क्या तारनाली या सीसा-आवरण दक्षतापूर्वक भू-संपर्कित किया गया है ?	
	(iv) यदि उपभोक्ता का अपना निजी भू-इलेक्ट्रोड है तो बताइए कि क्या वह उचित रूप से लगाया गया है और परीक्षण करने पर क्या उस के परिणाम समाधानप्रद निकले हैं ।	
74 से 93 शिरोपरि लाइनें :		
	(i) बताइए कि क्या उपभोक्ता के पास कोई शिरोपरि लाइन है यदि हां तो सुसंगत नियम का विशिष्ट निर्देश करते हुए बताइए कि उनकी दशा कैसी है ।	
	(ii) उपभोक्ता के परिसर के निकट क्या कोई अन्य शिरोपरि लाइन है जो नियम 79 या 80 के अनुसार नहीं है ?	
	(iii) यदि वे कारखाने के भीतर हैं तो क्या शिरोपरि लाइनों के लिए, सड़क पारपथों और व्यस्त परिक्षेत्रों पर बचाव की व्यवस्था की गई है ?	
	(iv) कोई अन्य टिप्पणी ।	

निरीक्षक अधिकारी का हस्ताक्षर————

नाम————

पदाभिधान————

तारीख————फाइल संख्या————

इसकी प्रतिलिपि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46(1) (ख) के अनुसार विद्युत निरीक्षक को———— के लिए भेजी गई ।

हस्ताक्षर————

नाम————

*यहां तारस्थापन का टाइप बताइए कि वह केस में बंद—कैपमढ़ा, टीक की लकड़ी की पट्टी पर सीसा मढ़ा, छिपा हुआ, तारनाली में बन्द मजबूत रबड़ के शीथ में बन्द और ऐसे ही अन्य किस प्रकार का है ।

**एकल वाल ट्यूब का या ब्रेकेटों, इलेक्ट्रोलियरों, स्विचों, छत के पंखों और (सुवाह्य हैण्ड लैम्पों और सुवाह्य तथा परिवहनीय यंत्रों से भिन्न) ऐसी ही अन्य फिटिंगों को तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उनमें भू-संपर्कित टर्मिनल की व्यवस्था न हो ।

प्ररूप II

निरीक्षण रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम, 1956 के नियम 46 के अधीन) किसी उपभोक्ता के मध्यम वोल्टता संस्थापन

रिपोर्ट संख्या————निरीक्षण की तारीख————

चालान संख्या,————तारीख————निरीक्षण फीस ————रु० अंतिम निरीक्षण की तारीख————

1. उपभोक्त संख्या————
2. वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली :
   (i)————वोल्ट (ii) फेजों की संख्या————
   (iii) ए सी/डी सी————
3. उपभोक्ता/स्वामी का नाम————
4. उपभोक्ता/स्वामी का पता————
5. परिसर का अवस्थान————
6. संस्थानों की विशिष्टयां :

I. मोटर :

नाम संख्या	अ०शा० ऐम्पियर	वोल्टता
(1)————		
(2)————		
(3)————		
(4)————		
(5)————		

II. अन्य उपस्कर (पूरा ब्योरा दिया जाए)

(1)————

(2)————

(3)————

कुल जोड़ा हुआ लोड अ०शा०/ किलोवोल्ट ऐम्पियर

III. जनित्र (उस दशा में जबकि ऊर्जा का जनन उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाता ।

(1)————

(2)————

(3)————

7. संस्थापन की साधारण दशा ।

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम	अपेक्षाएं	रिपोर्ट
1	2	3
3	प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची क्या उचित रूप से बनी है और अद्यतन रखी जाती है तथा सम्यकरूप से सन्यापित है ?	
29	(i) किसी भी यंत्र के प्रसंग में क्या अति-लोडिंग का/के कोई चिन्ह है/हैं ?	

1	2	3
	(ii) बताइए कि क्या कोई अप्राधिकृत अस्थायी संस्थापन विद्यमान है।	
	(iii) क्या विद्युत प्रदाय लाइनें और यंत्र इस प्रकार संस्थापित, संरक्षित, संचालित तथा बनाए रखे जाते है कि खतरे का निवारण हो सके ?	
	(iv) कोई अन्य साधारण टिप्पणियां।	
30	उपभोक्ता के परिसर पर प्रदायकर्ता की सेवा लाइन और यंत्र: ऐसी सेवा लाइनों, केबलों, तारों या यंत्रों तथा और ऐसी अन्य फिटिंगों की दशा के संबंध में रिपोर्ट दीजिए जो प्रदायकर्ता/स्वामी द्वारा परिसर पर लगाई गई हैं।	
31	क्या प्रदायकर्ता ने उपभोक्ता के परिसर के भीतर उपयुक्त कट-आउटों की व्यवस्था ऐसी जगह पर की है जो पहुंच के अन्दर हों? क्या वे पर्याप्त रूप से घिरे हुए अग्निसह आधान के भीतर है ?	
32	(i) बताइए कि क्या स्विचों की व्यवस्था सक्रिय चालकों पर की गई है।	
	(ii) बताइए कि क्या स्थायी प्रकार के संकेत की व्यवस्था इस नियम के अनुसार की गई है जिससे न्यूट्रल और सक्रिय चालक की पहचान हो सके।	
	(iii) क्या एकल फेज डबल पोल लोहावृत स्विचों की दशा में फ्यूज के बजाए न्यूट्रल पर डाएरेक्ट लिंक की व्यवस्था की गई है ?	
33	(i) बताइए कि क्या भू-संपर्कित टर्मिनल की व्यवस्था प्रदायकर्ता द्वारा की गई है।	
	(ii) क्या उपभोक्ता की पृथक भू-संपर्क व्यवस्था दक्ष है ?	
	(iii) भू-संपर्क व्यवस्था की दक्षता के बारे में रिपोर्ट दीजिए ।	
34	(i) भवन में अनावृत चालक क्या पहुंच के बाहर रखे गए हैं ?	
	(ii) क्या ऐसे स्विचों की व्यवस्था, जो आसानी से पहुंच के अन्दर हों, उन्हें विद्युतहीन करने के लिए की गई है ?	
	(iii) क्या कोई अन्य सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक समझे गए हैं ?	
35	बताइए कि क्या हिन्दी में और जिले की स्थानीय भाषा में और ऐसे टाइप की "खतरा सूचना" जैसी विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो इस नियम के अनुसार किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थायी रूप से लगा दी गई है ?	
38	बताइए कि क्या इस नियम के अधीन आने वाले सुवाह्य या परिवहनीय उपस्कर के लिए प्रयुक्त नम्य केबल अच्छी तरह से विद्युतरोधित और यांत्रिक आघात से पर्याप्त रूप से संरक्षित है ?	
44	(i) बताइए कि क्या विद्युत प्रघात से पीड़ित व्यक्तियों को फिर से स्वस्थ करने के लिए अंग्रेजी में, हिन्दी में, और जिले की स्थानीय भाषा में अनुदेश सहज दृश्य पर लगा दिए गए है ?	
	(ii) क्या प्राधिकृत व्यक्ति विद्युत प्रघात से पीड़ित व्यक्तियों को फिर से होश में लाने के लिए अनुदेशों को लागू करने में समर्थ हैं ?	
49	परिसरों पर क्षरण : चालकों और भू-संपर्क व्यवस्था के बीच विद्युतरोधी प्रतिरोध अभिलेखों में बताइए ?	
50	(i) बताइए कि क्या उपयुक्त लिंक स्विचों/सर्किट वियोजकों की व्यवस्था प्रदाय के प्रारम्भस्थलों के निकट की गई है जिससे वे आसानी से पहुंच के अन्दर हों और ऊर्जा का प्रदाय पूरी तरह से काट देने के लिए उनका संचालन सुगमता से किया जा सके ?	
	(ii) क्या उपयुक्त सर्किट वियोजक अथवा कट-आउट लगाकर अलग-अलग हर एक सर्किट की अत्यधिक सुरक्षा की गई है ?	
	(iii) बताइए कि क्या मोटर या यंत्र को होने वाला प्रदाय नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक मोटर या यंत्र के निकट उपयुक्त लिंक स्विच या सर्किट वियोजक की व्यवस्था की गई है ?	
	(iv) बताइए कि क्या पर्याप्त पूर्वविधानियां यह सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं कि कोई भी सक्रिय भाग इस प्रकार अनावृत नहीं है जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है?	
51	(i) विभिन्न धात्विक आवरणों की दशा बताइए जिनकी व्यवस्था विभिन्न चालकों के लिए की गई है ?	
	(ii) (क) बताइए कि क्या मेन स्विचबोर्ड के सामने 90 सें० मी० (3 फीट) खुला स्थान छोड़ा गया है।	
	(ख) बताइए कि क्या स्विच बोर्ड के पीछे वाला स्थान चौड़ाई में 75 सें०मी० (30") से अधिक या 23 सें०मी० (9") से कम तो नहीं है ?	

1	2	3
	(ग) यदि स्विच बोर्ड के पीछे वाला खुला स्थान 75 सें०मी० (30") से अधिक है तो बताइए कि क्या स्विच बोर्ड के दोनों सिरों से 1.80 मीटर (6 फीट) की ऊंचाई तक रास्ता छोड़ा गया है ?	
61	(i) क्या ट्रांसफार्मर पर लगा न्यूट्रल चालक, दो अलग अलग और सुभिन्न कनेक्शनों द्वारा भूमि के साथ भू-संपर्कित किया गया है ?	
	(ii) क्या हर जनित्र, स्थायी मोटर का फ्रेम और जहां तक साध्य है सुवाह्य मोटर और सब ट्रांसफार्मरों के धात्विक भाग (जो चालकों के रूप में आशयित नहीं हैं) और कोई अन्य यंत्र जो ऊर्जा को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त है और मध्यम वोल्टता ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरण भूमि के साथ दो पृथक और सुभिन्न कनेक्शनों द्वारा भू-संपर्कित है ?	
	(iii) क्या किसी विद्युत प्रदाय लाइन या यंत्र को अपने अंदर रखने वाले या उसकी सुरक्षा करने वाले धातु खोल या धात्विक आवरण उचित रूप से भू-संपर्कित किए गए हैं और सभी सब जंकशन पेटियों के साथ इस प्रकार जोड़े गए हैं और उनके आर पार इस प्रकार मिलाए हुए हैं कि यांत्रिक और वैद्युत कनेक्शन ठीक किए जा सकें ?	
	(iv) बताइए कि क्या उपभोक्ता के भू-इलेक्ट्रोड समुचित रूप से लगाए गए हैं और परीक्षण करने पर उसके परिणाम समाधानप्रद निकले हैं।	
	(v) क्या भू-संपर्क तार यांत्रिक दोष से मुक्त है ।	
74 से 93	शिरोपरि लाइनें :	
	(i) बताइए कि क्या उपभोक्ता के पास कोई शिरोपरि लाइनें हैं यदि हां तो सुसंगत नियम का विशिष्ट निर्देश देते हुए बताइए कि उनकी दशा कैसी है ?	
	(ii) उपभोक्ता के परिसर के निकट क्या कोई अन्य शिरोपरि लाइन है जो नियम 79 या 80 के अनुसार नहीं है।	
	(iii) यदि वे कारखाने के भीतर है तो क्या शिरोपरि लाइनों के लिए सड़क पार-पथों और व्यस्त परिक्षेत्रों पर बचाव की व्यवस्था की गई है ?	
	(iv) कोई अन्य टिप्पणी।	

निरीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर———

नाम———

पद नाम———

फाइल संख्या———

तारीख———

1	2	3

प्रारूप III

निरीक्षण रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 के अधीन)

किसी उपभोक्ता का उच्च तथा चरम उच्च वोल्टता संस्थापन

रिपोर्ट संख्या ———निरीक्षण की तारीख———

चालान संख्या———तारीख———

निरीक्षण फीस———रु० अंतिम निरीक्षण की तारीख———

1. उपभोक्ता संख्या———

2. वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली (i) वोल्ट———

(ii) फेजों की संख्या———

(iii) एसी/डीसी———

3. उपभोक्ता/स्वामी का नाम———

4. उपभोक्ता/स्वामी का पता———

5. परिसर का अवस्थान———

6. संस्थापक की विशिष्टयां :

I. मोटर :

	नाम	संख्या	अ०श०	ऐम्पियर	वोल्टता
(1)					
(2)					
(3)					

II. ट्रांसफार्मर

	नाम	संख्या	कि०वो०ऐ०	शक्ति फैक्टर उ०वो०	शक्ति फैक्टर कि०वो०	वोल्टता
(1)						
(2)						
(3)						

III. अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाए) :

(1)———

(3)———

(3)———

IV. कुल सामर्थ्य अ०श०/कि०वो०ऐ० में ———

जनित्र (उस दशा में जब ऊर्जा का जनन उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाता है)

(1) ———

(2) ———

7. संस्थापन की साधारण दशा :

भारतीय विद्युत नियम, 1956 का नियम	अपेक्षाएं	रिपोर्ट
1	2	3
3 (i)	प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची क्या उचित रूप से बनी है और अद्यतन रखी जाती है तथा सम्यक रूप से सत्यापित है ?	

1	2	3
	(ii) क्या प्राधिकृत व्यक्ति उस काम के लिए जो उनको दिया गया है सक्षम हैं ?	
29	(i) किसी भी यंत्र के प्रसंग में क्या प्रति लोडिंग का/के कोई चिन्ह है/हैं ?	
	(ii) बताइए कि क्या कोई अप्राधिकृत अस्थायी संस्थापन विद्यमान है ।	
	(iii) क्या उ०वो० मोटर और नियंत्रण रखने वाले उपस्कर को नियत कालिक रूप से ओवरहाल किया जाता है और उसका अभिलेख रजिस्टर में रखा जाना है ?	
	(iv) क्या ट्रांसफार्मर तेल नमूनों का नियत कालिक रूप से परीक्षण किया जाता है और परिणामों का अभिलेख किसी रजिस्टर में किया जाता है ?	
	(v) क्या तड़ित संरक्षण करने के लिए ट्रान्सफार्मरों के निकट उपयुक्त तड़ित निरोधकों की व्यवस्था की गई है ?	
	(vi) क्या भू-संपर्कन प्रतिरोध की माप नियत कालिक रूप से की जाती है और परिणामों का अभिलेख किसी रजिस्टर में किया जाता है ?	
	(vii) कोई अन्य दोष या दशा जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है ।	
	(viii) कोई अन्य साधारण टिप्पणियां ।	
30	प्रदायकर्ता की सेवा लाइन और यंत्र जो उपभोक्ता के परिसर पर हों : सेवा लाइनों, केबलों, तारों, सर्किट वियोजकों विलगकारी स्विचों, रक्षण अभिलेखन तथा समाकलन करने वाले यंत्रों उपकरण और ऐसी अन्य फिटिंगों की दशा के बारे में जो प्रदायकर्ता/स्वामी द्वारा परिसर पर लगाई गई है रिपोर्ट दीजिए ।	
31	क्या प्रदायकर्ता ने उपयुक्त कट-आउटों की व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर के अन्दर ऐसी जगह पर की है जो पहुंच के अन्दर है ? क्या वे पर्याप्त रूप से घिरे हुए किसी अग्निसह आधान के भीतर हैं ?	
33	(i) बताइए कि क्या प्रदायकर्ता द्वारा भू-संपर्कित टर्मिनल की व्यवस्था की गई है ।	
	(ii) क्या उपभोक्ता की पृथक भू-संपर्क व्यवस्था दक्ष है ? (भू-संपर्क प्रतिरोध की माप की गई है तो उसे भी बताइए) ।	
	(iii) भू-संपर्क व्यवस्था की दक्षता के बारे में रिपोर्ट दीजिए ।	
34	(i) भवन में अनावृत चालक (यदि कोई हो) क्या पहुंच के बाहर रखे गए है ?	
	(ii) क्या ऐसे स्विचों की व्यवस्था जो पहुंच के अन्दर हैं उन्हें विद्युतहीन करने के लिए की गई हैं ?	
	(iii) क्या कोई अन्य सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक समझे गए हैं ?	
35	बताइए कि क्या हिन्दी में और जिले की स्थानीय भाषा में ऐसे टाईप की "खतरा सूचना" जैसी वैद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो इस नियम के अनुसार किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थायी रूप से लगा दी गई है ।	
36	क्या सक्रिय लाईनों और यंत्र पर काम करने की पद्धति अपनायी गई है । यदि हां, तो क्या सुरक्षात्मक उपाय वैद्युत निरीक्षण द्वारा अनुमोदित किए गए हैं ।	
41	बताइए कि क्या विभिन्न वोल्टता (ओं) पर प्रचालन के लिए आशयित सर्किटों या यंत्रों की पहचान स्थायी प्रकार के चिन्हों द्वारा की जा सकती है ?	
42	क्या सर्किट और यंत्र इस प्रकार रखे गये हैं जिससे उनके किसी भाग (भागों) का चार्ज घटनावश उतनी वोल्टता तक पहुंच जाने का कोई खतरा नहीं है जितनी उस वोल्टता की सीमा के परे हो जिसके लिये यह/ये आशयित है/हैं ?	
43	(i) विद्युत उत्पादन के और परिवेष्टित केन्द्रों की दशा में वैद्युत्त अग्निकाण्डों से निपटने के लिए उपयुक्त शामकों के अतिरिक्त क्या, साफ सूखी रेत से भरी अग्नि-बाल्टियां सहजदृश्य रूप से चिन्हित करके सुविधाजनक स्थानों पर रखी गई है ?	
	(ii) बताइए कि क्या सहजदृश्य रूप से चिन्हित और उचित रूप से सज्जित प्रथम उपचार पेटियों और अल्मारियों की व्यवस्था की गई है और उनको बनाए रखा जाता है ।	
	(iii) कर्मचारिवृन्द में से कुछ व्यक्ति क्या प्राथमिक सहायता उपचार में प्रशिक्षित हैं ?	
44	(i) बताइए कि क्या विद्युत्त प्रघात से पीड़ित व्यक्तियों को फिर से स्वस्थ करने के लिए अनुदेश अंग्रेजी, हिंदी और जिले की स्थानीय भाषा में, सहजदृश्य स्थान पर लगा दिए गए हैं ?	
	(ii) क्या प्राधिकृत व्यक्ति, विद्युत्त प्रघात से पीड़ित व्यक्तियों को होश में लाने के लिए अनुदेशों को लागू करने में समर्थ हैं ?	
49	**परिसर पर क्षरण:** चालकों और भू-संपर्क व्यवस्था के बीच विद्युत रोध प्रतिरोध मेगओमों में बताइए ।	
50	(i) क्या उपयुक्त लिंक्ड स्विच/सर्किट वियोजक प्रदाय के प्रारम्भ स्थल पर इस प्रकार	

1	2	3
	लगाया गया है कि वह आसानी से पहुंच के अन्दर है और प्रदाय को पूरी तरह काट देने के लिए उसका संचालन सुगमता से किया जा सकता है ?	
	(ii) ट्रांसफार्मर की द्वितीयक साइड पर पूरा लोड करेंट ले जाने के लिए और उसे वियोजित करने के लिए क्या कोई उपयुक्त लिंक्ड स्विच या सर्किट वियोजक है ?	
	(iii) क्या उपयुक्त सर्किट वियोजक या कट-आउट लगाकर अलग-अलग हर एक सर्किट की सुरक्षा अत्याधिक ऊर्जा से की गई है।	
	(iv) बताइए कि क्या मोटर या यंत्र को होने वाला प्रदाय नियन्त्रित करने के लिए उच्च वोल्टता मोटर या अन्य यंत्र के निकट उपयुक्त लिंक्ड स्विच या सर्किट वियोजक की व्यवस्था की गई है ?	
	(v) बताइए कि क्या पर्याप्त पूर्वाधानियां यह सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं कि कोई भी सक्रिय भाग इस प्रकार अनावृत नहीं है जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है।	
51.	(i) विभिन्न धात्विक आवरणों की दशा बताइए जिनकी व्यवस्था विभिन्न चालकों के लिए की गई है।	
	(ii) (क) बताइए कि क्या मेन स्विच-बोर्ड के सामने 90 सें० मी० (3 फीट) खुला स्थान छोड़ा गया है।	
	(ख) बताइए कि क्या स्विच-बोर्ड के पीछे वाला स्थान चौड़ाई में 75 सें० मी० (30 इंच) से अधिक या 23 सें० मी० (9 इंच) से कम तो नहीं है।	
	(ग) यदि स्विच-बोर्ड के पीछे वाला खुला स्थान 75 सें० मी० (30 इंच) से अधिक है तो बताइए कि क्या स्विच-बोर्ड के दोनों सिरों से 1.80 मीटर (6 फीट) की ऊंचाई तक रास्ता छोड़ा गया है ?	
64.	(i) बताइए कि क्या सब चालक और यंत्र जिनमें उनके सक्रिय भाग भी सम्मिलित हैं, पहुंच के बाहर हैं।	
	(ii) बताइए कि क्या मोटरों की सब कुण्डलियां अन्य यंत्र उचित रूप से संरक्षित हैं।	
	(iii) वह पद्धति बताइए जो ट्रांसफार्मर/ट्रांसफार्मरों के, घटनावश अपनी प्रसामान्य वोल्टता से अधिक चार्ज हो जाने की दशा में उसके/उनके निम्नतर वोल्टता सर्किटों को सुरक्षित रखने के लिए अपनायी गयी है।	
	(iv) यह बताइए कि जिन ट्रांसफार्मरों या स्वीचों या स्थैतिक संधारित्रों की दशा में, एक चेम्बर में 2,275 लीटर (500 गैलन) से अधिक तेल खर्च होता है, उनके लिए क्या उपयुक्त तेल शोषक गर्तों की व्यवस्था की गई है ?	
	(v) जहां किसी एक तेल टंकी में 9,100 लीटर (2000) गैलन या उससे अधिक तेल खर्च होता है वहां क्या ऐसी टंकी/टंकियों से रिसने वाले तेल को नाली के रास्ते बाहर निकालने या हटाने की व्यवस्था की गई है।	
	(vi) बताइए कि क्या उन उपकेंद्रों में जिनमें केबल हैं खाइयां अज्वलनशील पदार्थ से भरी हुई हैं या अज्वलनशील सिल्लियों से पूरी तरह से ढकी हैं।	
	(vii) क्या चालक और यंत्र इस प्रकार लगे हैं कि उनपर काम करने के लिए उन्हें अलग-अलग सेक्शनों में विद्युत्तहीन किया जा सकता है ?	
66.	जहां तक धातु कोषित विद्युत प्रदाय लाइनों का प्रसंग है क्या धातु कोष उचित रूप से भू-सम्पर्कित है ?	
67.	(i) क्या हर अनित्र, स्थायी मोटर का फ्रेम और जहां तक साध्य है सुवाह्य मोटर और सब ट्रांसफार्मरों के धात्विक भाग (जो चालकों के रूप में आशयित नहीं हैं) और कोई अन्य यंत्र जो ऊर्जा को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त हैं और उच्च वोल्टता ऊर्जा की खपत करने वाले यंत्र, भूमि के साथ दो पृथक और सुभिन्न कनेक्शनों द्वारा भू-संपर्कित हैं ?	
	(ii) क्या भू-संपर्क-तार यांत्रिक दोष से मुक्त हैं ?	
	(iii) क्या भू-संपर्की न्यूट्रल प्वाइंट के लिए भूमि के साथ दो पृथक और सुभिन्न कनेक्शनों की जिनमें से प्रत्येक के साथ अपना इलेक्ट्राड है व्यवस्था की गई है ?	
	(iv) क्या किसी विद्युत्त प्रदाय लाइन या यंत्र को अपने अंदर रखने वाले या उसकी सुरक्षा करने वाली धातु खोल या धात्विक आवरण उचित रूप से भूसम्पर्कित किए गए हैं और सभी जंक्शन पेटियों के साथ इस प्रकार जोड़े गए हैं और आरपार उनके साथ इस प्रकार मिलाए हुए है कि जितनी दूर तक वे गए हैं उस दूरी के भीतर सब जगह यान्त्रिक और वैद्युत कनेक्शन ठीक किए जा सकें ?	

1	2	3
68.		क्या बाह्य उपकेंद्र (पोले टाइप उपकेन्द्र के सिवाय) 2.45 मीटर (आठ फीट) से अन्यून की ऊंची बाड़ द्वारा भली प्रकार संरक्षित है ?
69.	(i)	जहां पोल टाइप उपकेंद्र के लिए प्लेटफार्म जैसी संरचना का प्रयोग किया गया है वहां क्या प्लेटफार्म पर किसी आदमी के खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की गई है ?
	(ii)	क्या हस्तधरणी की व्यवस्था की गई है और क्या वह भू-संपर्कित है? (यदि धात्विक और यदि उपकेन्द्र लकड़ी के खंभों पर खड़ा नहीं किया गया है।)
70.		क्या प्रदाय का संबंध काट दिए जाने पर हर स्थैतिक संधारित्र के तत्काल और अपने आप डिस्चार्ज होने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है ?
		शिरोपरि लाइनें :
74.		शिरोपरि लाइनों के चालकों का जिनका प्रयोग किया गया है न्यूनतम आकार क्या है ? बताइए कि चालकों का टाइप क्या है ?
77.		शिरोपरि लाइनों के निम्नतम चालकों के, जिनमें सेवा लाइनें भी सम्मिलित हैं, जमीन के ऊपर वाले निकास क्या इस नियम के अनुसार हैं ?
80.	(i)	क्या उच्चाधिर निकास उन स्थानों पर जहां उच्च या चरम उच्च वोल्टता लाइन किसी भवन या भवन के भाग के ऊपर से या उसके पार्श्व से गुजरती है, अधिकतम झोल के आधार पर इन नियमों के अनुसार हैं ?
	(ii)	क्या क्षैतिज निकास निकटतम चालक और ऐसे भवन के भाग के बीच वायु दाब से होने वाले अधिकतम विक्षेप के आधार पर इस नियम के अनुसार हैं ?
81.		जहां ऐसे चालक जो विभिन्न वोल्टताओं पर प्रणाली के भाग हैं उन्हीं खंभों पर खड़े किए गए हों वहां लाइनमैनों तथा अन्य व्यक्तियों को उच्चतर वोल्टता प्रणाली से क्षरण या उस प्रणाली के साथ संपर्क के कारण निम्नतर वोल्टता प्रणाली की प्रसामान्य कार्यकारी वोल्टता से अधिक उसके चार्ज हो जाने के कारण निम्नतर वोल्टता प्रणाली से जो खतरा हो सकता है उससे उनकी रक्षा के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्था की गई है ?
87.		जहां शिरोपरि लाइनें एक दूसरे के आरपार या समीप से होकर जाती हैं वहां क्या उनका उचित रूप से संरक्षण इस बात की संभाव्यता से किया गया है कि वे एक दूसरे से आपस में छू न जाएं।
88.	(i)	क्या प्रत्येक रक्षी तार, हर ऐसे प्वाइंट पर जहां पर उसकी वैद्युत निरन्तरता वियोजित हो गई है, उचित रूप से भू-संपर्कित है ?
	(ii)	रक्षी तार का टाइप और आकार क्या है ?
90.	(i)	क्या शिरोपरि लाइनों के धातु निर्मित खंभे और उनके साथ संलग्न फिटिंग स्थायी रूप से और दक्षतापूर्वक भू-संपर्कित हैं ?
	(ii)	का प्रत्येक तान-तार (तब के सिवाय जबकि जमीन से 3 मीटर (10 फीट) से अन्यून ऊंचाई पर उसमें विद्युतरोधक लगाया गया है) उसी प्रकार भू-संपर्कित किया गया है ?
91.	(i)	क्या शिरोपरि लाइन को उस समय जबकि वह टूट जाती है, वैद्युत रूप से निरापद करने के लिए, युक्ति लगाकर उपयुक्त रूप से संरक्षित किया गया है ?
	(ii)	क्या प्रत्येक उच्च वोल्टता और चरम उच्च वोल्टता खंभों के लिए आरोहण विरोधी युक्तियों की व्यवस्था की गई है ?
92.	(i)	क्या शिरोपरि लाइनों के स्वामी ने, प्रत्येक शिरोपरि लाइन में, जो इस प्रकार से अनावृत्त है कि तड़ित से क्षतिग्रस्त हो सकती है, तड़ित की वजह से किसी वैद्युत प्रोत्कर्ष को भूमि की ओर मोड़ने के लिए दक्ष साधनों का प्रयोग किया है ? किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया गया है ?
	(ii)	क्या तड़ित निरोधकों से भू-सपर्की लीड पृथक भू-इलेक्ट्रोड से साथ संसक्त किया गया है ?
93.		क्या वे शिरोपरि लाइनें जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, सुरक्षित यांत्रिक दशा में बनाए रखी गई है। कोई अन्य टिप्पणियां

निरीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर———

नाम———

पदनाम———

तारीख ——— फाइल संख्या———

[संख्या सी० एम० - 305/36/69]

जी० जी० शिन्दे सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 1st November, 1972

CORRIGENDUM

G.S.R. 1486. — In the Notification of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, No. G.S.R. 954, dated the 1st April, 1970, appearing at pages 2276 and 2277 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 20th June, 1970, at page 2276, in lines 2 and 3 from the bottom for "each of the entries in column 7 against serial number 10 and 11," read "entry in column 7 against serial number 10 and the entry in column 5 against serial number 11."

[No. A-12018/6/70-SIV]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 दिनांक 1 नवम्बर, 1972

शुद्धि-पत्र

सा०का०नि० 1486.–दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i) के पृष्ठ 2276 तथा 2277 पर प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 954 तारीख 1 अप्रैल, 1970 में, पृष्ठ 2276 पर नीचे से दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों में "क्रम संख्या 10 तथा 11 के सम्मुख कालम संख्या 7 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रविष्टि" के स्थान पर "क्रम-संख्या 10 के सम्मुख कालम 7 के अन्तर्गत प्रविष्टि तथा क्रम संख्या 11 के सम्मुख कालम 5 के अन्तर्गत प्रविष्टि" पढ़िए।

[सं० ए-12018/6/70-एस-IV]

ए० बी० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 7th November, 1972

G.S.R. 1487. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III ex-cadre posts) Recruitment rules, 1969 namely :—

1. (i) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Ex-cadre posts) Recruitment (2nd Amendment) Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Ex-cadre posts) Recruitment Rules, 1969.

(i) for the entry in Column 7 against each of the Serial Nos. 2 and 3, the following entries shall be substituted, namely:—

"18 to 25 years";

(ii) for the entry against (b) under column 12 against each of the Serial Nos. 2 and 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"are not more than 45 years of age (50 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) on the date of the examination".

[No. 22/1/63-Est. I]

S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली-2, 7 नवम्बर, 1972

सा का० नि० 1487–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 काडर बाह्य पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 काडर बाह्य पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 काडर बाह्य पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में (i) स्तम्भ 7 में क्रम संख्या 2 और 3, प्रत्येक के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात "18 से 25 वर्ष"

(ii) स्तम्भ 12 के अन्तर्गत (ख) के सामने क्रम संख्या 2 और 3, प्रत्येक के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात:–"परीक्षा की तारीख को 45 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष)"

[सं० 22/1/63-स्थापना-I]

एस० पद्मनाभन, उपसचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० सं०1488–उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(1) इन नियमों का नाम उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 है।

(2) ये नियम 16 सितम्बर, 1972 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो —

(क) 'अधिनियम' से उपदान संदाय अधिनियम, 1972, अभिप्रेत है,

(ख) 'अपील प्राधिकारी' से केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्ररूप' से इन नियमों के संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(घ) 'नाम निर्देशन' से धारा 6 के अधीन किया गया नाम निर्देशन अभिप्रेत है ;

(ङ) 'धारा' नाम से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. स्थापन के खोलने, परिवर्तन या बन्द करने का नोटिस :—

(1) किसी स्थापन को नियम लागू होने के 30 दिन के भीतर नियोजक द्वारा क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में एक नोटिस प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) नियोजक द्वारा क्षेत्र के नियंत्रक अधिकारी को कारबार का नाम, पता, नियोजक या स्वरूप के किसी परिवर्तन का 30 दिन के अन्दर प्ररूप 'ख' में नोटिस प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जब नियोजक का कारबार बन्द करने का आशय हो तो आशयित बन्द करने से कम से कम 60 दिन पहले वह क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 'ग' में नोटिस प्रस्तुत करेगा।

4. नोटिस का प्रदर्शन :—

(1) नियोजक, स्थापन पर या उसके मुख्य द्वार के निकट सहजदृश्य स्थान पर बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में और कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली किसी भाषा में नियोजक की ओर से अधिनियम या नियमों के अधीन नोटिस लेने को नियोजक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसके पते के सहित विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस, प्रदर्शित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस के दुर्वाच्य हो जाने के या परिवर्तन अपेक्षित होने के तुरन्त पश्चात् नया नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा।

5. धारा 2 (ज) (ii) के परन्तुक के अधीन नोटिस का प्ररूप :—

(1) धारा 2 के खण्ड (च) के उप-खण्ड (ii) के परन्तुक के अधीन नोटिस प्ररूप 'घ' में होगा और कर्मचारी द्वारा तीन प्रतियों में नियोजक को भेजा जाएगा, जो उसकी एक प्रति में उसकी रसीद अभिलिखित करने के पश्चात्, उस प्रति को कर्मचारी को वापिस कर देगा और दूसरी प्रति क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) कोई कर्मचारी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नोटिस को प्ररूप ('ङ') में तीन प्रतियों में अन्य नोटिस नियोजक को देकर वापिस ले सकेगा, जो उपनियम (1) जैसी प्रक्रिया का ही पालन करेगा।

6. नामनिर्देशन :—

(1) नामनिर्देशन प्ररूप 'च' में होगा और दो प्रतियों में कर्मचारी द्वारा स्वयं तामील करके उपयुक्त रसीद लेने के पश्चात् या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा नियोजक को भेजकर, प्रस्तुत किया जाएगा :—

(i) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पहिले से ही इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख में एक वर्ष या अधिक से नियोजन में है, सामान्यतः ऐसी तारीख से 90 दिन के भीतर, और

(ii) ऐसे कर्मचारी की दशा में जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवा का एक वर्ष पूरा करता है, सेवा के एक वर्ष पूरा करने के सामान्यतः 30 दिन के भीतर :

परन्तु नियोजक द्वारा प्ररूप 'च' में नामनिर्देशन विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भी प्रतिगृहीत किया जाएगा यदि देरी के लिए युक्तियुक्त कारणों सहित भेजा जाय और इस प्रकार प्रतिगृहीत कोई नामनिर्देशन सिर्फ इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दिया गया था।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप 'च' में प्राप्त नामनिर्देशन के तीस दिन के भीतर नियोजक कर्मचारी की सेवा विशिष्टियां, जैसी कि वह नामनिर्देशन प्ररूप में उल्लिखित हैं, स्थापन के अभिलेखों से जांच कराएगा और उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् नामनिर्देशन की प्ररूप 'च' में दूसरी प्रति जो नियोजक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के सम्यक रूप से सत्यापित हो, नियोजक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के अभिलिखित किये जाने के टोकन स्वरूप कर्मचारी को वापिस करेगा और नामनिर्देशन-पत्र की अन्य प्रति अभिलेख में रख ली जाएगी।

(3) कोई कर्मचारी, जिसका नामनिर्देशन करते समय कोई कुटुम्ब न हो, कुटुम्ब होने के 90 दिन के भीतर उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से नया नामनिर्देशन-पत्र, जैसा कि धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, प्ररूप 'छ' में नियोजक को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे लागू होंगे जैसे कि वह उपनियम (1) के अधीन किया गया था।

(4) नामनिर्देशन-पत्र के उपान्तरण का नोटिस जिसमें नामनिर्देशित की मृत्यु कर्मचारी के पहिले हो जाने का मामला सम्मिलित है, नियोजक को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्ररूप 'ज' में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे लागू होंगे जैसे कि वह उपनियम (1) के अधीन किया गया था।

(5) कोई नामनिर्देशन या नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन में उपान्तरण का नोटिस कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा या, यदि अशिक्षित हो तो दो साक्षियों की उपस्थिति में उसकी निशानी अंगूठा होगी, जो यथास्थिति नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन या नामनिर्देशन में उपान्तरण के नोटिस में इस प्रभार की घोषणा पर हस्ताक्षर भी करेंगे।

(6) नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन में उपान्तरण का नोटिस कर्मचारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

7. उत्पादन के लिये आवेदन :—

(1) कोई कर्मचारी जो अधिनियम के अधीन उप-दान के संदाय का पात्र है या लिखित रूप में उसकी ओर से कार्य करने को प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपदान के संदेय होने की तारीख से सामान्यतः 30 दिन के भीतर प्ररूप 'झ' में नियोजक को आवेदन करेगा :—

परन्तु जब किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता या निवृत्ति की तारीख मालूम हो तो कर्मचारी अधिवर्षिता या निवृत्ति की तारीख से 30 दिन पहिले नियोजक को आवेदन कर सकेगा।

(2) किसी कर्मचारी का, जो धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन उप-दान के संदाय का पात्र है, नामनिर्देशिती उस को उप-दान संदेय होने की तारीख को सामान्यतः 30 दिन के भीतर प्ररूप 'ञ' में नियोजक को आवेदन करेगा :

परन्तु सुसंगत विशिष्टियों सहित कोरे कागज पर आवेदन भी प्रतिगृहीत किया जाएगा। नियोजक ऐसे अन्य विशिष्टियां, की जैसी उसको आवश्यक लगे प्राप्त कर सकेगा।

(3) किसी कर्मचारी का, जो धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उप-दान के संदाय का पात्र है, विधिक वारिस, उप-दान उसको संदेय होने की तारीख से सामान्यतः एक वर्ष के भीतर प्ररूप 'ट' में नियोजक को आवेदन करेगा।

(4) इन नियमों के आरम्भ से पूर्व अधिनियम के अधीन उप-दान संदेय हो जाने पर, उपनियम (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि आरम्भ होने की तारीख से चालू मानी जाएगी।

(5) इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् उप-दान के संदाय के लिए भेजा गया आवेदन भी नियोजक द्वारा लिया जाएगा यदि आवेदक अपने दावे को भेजने में देरी के लिए पर्याप्त कारण बता देता है और अधिनियम के अधीन उप-दान के लिए कोई दावा सिर्फ इस बात पर अविधिमान्य नहीं होगा कि दावेदार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस सम्बन्ध में कोई विवाद नियंत्रक प्राधिकारी को उसके विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा।

(6) इस नियम के अधीन कोई आवेदन नियोजक को या तो स्वयं तामील करके या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट से प्रस्तुत किया जाएगा।

8. उप-दान के संदाय के लिये नोटिस :—

(1) उप-दान के संदाय के लिए नियम 7 के अधीन आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर नियोजक :—

(1) यदि दावा सत्यापन पर अनुज्ञेय पाया जाय, तो, यथास्थिति, कर्मचारी-आवेदक नामनिर्देशिती या विधिक वारिस, को प्ररूप 'ठ' में संदेय उप-दान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए और ऐसी

तारीख नियत करते हुए जो आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् 13वें दिन के पश्चात की नही होगी, उसके संदाय के लिए नोटिस जारी करेगा, या

(1) यदि उप-दान के लिए दावा अनुज्ञेय न पाया जाय तो, यथास्थिति, कर्मचारी आवेदक, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस को वे कारण विनिर्दिष्ट करते हुए कि उप-दान के लिए दावा क्यों नही अनुज्ञेय समझा गया है, प्ररूप 'ड' में नोटिस जारी करेगा। दोनों ही दशाओं में नोटिस की एक प्रति नियंत्रक प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) उप-दान का संदाय नियोजक के कार्यालय में किए जाने की दशा में उपनियम (1) के खण्ड (i) के अधीन प्ररूप 'ट' में नोटिस में इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख, यदि प्राप्तकर्त्ता द्वारा इस निमित्त लिखित आवेदन यह स्पष्ट करते हुए कि विनिर्दिष्ट तारीख को स्वयं उपस्थिति हो सकना क्यों सम्भव नही है, दिया जाय तो नियोजक तारीख फिर से नियत करेगा।

(3) यदि उप-दान के लिए दावेदार कोई नामनिर्देशिती या विधिक वारिस है तो नियोजक ऐसे साक्षी या साक्ष्य, जैसे यथास्थिति, उसकी शनाख्त के लिए या उसके दावे को कायम रखने के लिए सुसंगत प्रतीत होते हों, की मांग कर सकेगा। ऐसी दशा में उपनियम (1) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा, यथास्थिति, ऐसे साक्षी या साक्ष्य, जैसा कि नियोजक द्वारा मांगे जायें, नियोजक को दिये जाने की तारीख से चालू होगी।

(4) प्ररूप 'ठ' या प्ररूप 'ड' में नोटिस आवेदक पर या तो रसीद प्राप्ति पर स्वयं तामील करके या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा तामिल किया जाएगा।

(5) धारा (7) की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्ररुप 'ठ' में होगा।

9. **उप-दान के संदाय की रीति** :– अधिनियम के अधीन संदेय उप-दान नगदी में या प्राप्तकर्त्ता के चाहने पर यथास्थिति पात्र कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस को, मांग देय ड्राफ्ट में या, बैंक चैक से दिया जायेगा।

परन्तु, यथास्थिति, पात्र कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस के ऐसे चाहने पर और संदेय उप-दान यदि एक हजार रुपये से कम है तो संदेय रकम में से उसके लिए पोस्टल मनीआर्डर कमीशन काटने के पश्चात् पोस्टल मनीआर्डर द्वारा संदत्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि संदाय के विवरण के बारे में सूचना, नियोजक द्वारा क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को भी दी जाएगी।

10. **निर्देश के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन** :–

(1) यदि कोई नियोजक –

(i) कोई नामनिर्देशन या नियम 7 के अधीन दिए जाने के लिए ईप्सित आवेदन को लेने से इन्कार करता है, या

(ii) नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन या तो उप-दान की ऐसी रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए जो आवेदक द्वारा देय समझी जाने वाली रकम से कम है या उप-दान के संदाय की पात्रता को नामंजूर करते हुए नोटिस जारी करती है, या

(iii) नियम 7 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर नियम 8 के अधीन यथापेक्षित कोई नोटिस उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर देने में विफल रहता है,

तो, यथास्थिति दावेदार कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस आवेदन के लिए हेतुक उत्पन्न होने के 90 दिन के भीतर प्ररूप 'ढ' में नियंत्रक प्राधिकारी को धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन निर्देश जारी करने के लिए, जितने विरोधी पक्ष हों, उतनी अतिरिक्त प्रतियों सहित आवेदन देगा :

परन्तु विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् नियंत्रक इस उपनियम के अधीन किसी आवेदन को, आवेदक द्वारा प्राधिकारी उसे पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर प्रतिगृहीत कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन और ऐसे आवेदनों से सुसंगत अन्य दस्तावेज नियंत्रक प्राधिकारी को स्वयं दिये जाएंगे या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट भेजे जाएंगे।

11 **निर्देश के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया** :– (1) नियंत्रक प्राधिकारी, नियम 10 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्ररूप 'ण' में एक नोटिस जारी करके आवेदक और साथ ही साथ नियोजक को एक विनिर्दिष्ट तारीख समय और स्थान पर या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सभी सुसंगत दस्तावेजों और साक्षियों, यदि कोई हों, सहित, अपने सामने उपस्थित होने को कहेगा।

(2) यथास्थिति किसी नियोजक या कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधि वारिस की ओर से कार्य करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति नियंत्रक प्राधिकारी को, जिस व्यक्ति की ओर से वह कार्य करने की ईप्सा करता है, यथास्थिति, नियोजक या सम्बन्धित व्यक्ति स प्राधिकरण-पत्र तथा मामले में उसके हितों को स्पष्ट करते हुए लिखित कथन और इस प्रकार कार्य करने की अनुज्ञा की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत करेगा। नियंत्रक प्राधिकारी उस पर या तो अपना अनुमोदन करते हुए या प्रार्थित अनुज्ञा की नामंजूरी करने की दशा में, नामंजूरी के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश लिखेगा।

(3) किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने वाले पक्ष पर प्रतिनिधि के कार्य बाध्यकर होंगे।

(4) उपनियम (1) के अधीन नियत तारीख पर सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात् या ऐसे साक्ष्य, दस्तावेजों के परीक्षण, साक्षियों, सुनवाई और जांच, जैसी कि आवश्यक लगे, नियंत्रक प्राधिकारी इस बारे में कि क्या अधिनियम के अधीन आवेदक को कोई रकम देय है, अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। प्रत्येक पक्षकार को निष्कर्ष की एक प्रति दी जाएगी।

(5) नोटिस के सम्यक रूप से तामील करने के पश्चात् यदि कोई संबंधित नियोजक सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने में बिना पर्याप्त कारणों के विफल रहता है तो नियंत्रक प्राधिकारी सुनवाई की अगली कार्यवाही और आवेदन को एक-पक्षीय रूप में अवधारित कर सकेगा। यदि आवेदक पर्याप्त कारणों के बगैर सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित रहने में विफल रहता है तो नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन खारिज कर सकेगा :

परन्तु उक्त आदेश के तीस दिन के भीतर पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर, इस उपनियम के अधीन के किसी आदेश का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आवेदन की पुनः सुनवाई के लिए नियत तारीख से 14 दिन से अन्यून का, विरोधी पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात्, आवेदन की पुनः सुनवाई की जा सकेगी।

12. **सुनवाई का स्थान और समय** : नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर जैसा कि वह नियत करे, होगी और वह जैसा, उपयुक्त समझे, उस रीति से उस बारे में पक्षकारों को वह सूचित करेगा।

13. **शपथ दिलाना** :–नियंत्रक प्राधिकारी अपने कार्यालय के किसी लिपिक को शपथ-पत्र देने के प्रयोजन के लिए शपथ दिलाने को प्राधिकृत कर सकेगा ।

14. **साक्षियों का समन करना और उपस्थिति** :–नियंत्रक प्राधिकारी, अपने समक्ष कार्यवाही कि किसी भी प्रक्रम में अपने समक्ष कार्यवाही में अन्तर्वलित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पर या उसके बगैर, और नियंत्रक प्राधिकारी को जैसे निबन्धन न्याय संगत लगे उन पर या तो विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों प्रयोजनों के लिए प्ररूप 'त' में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकेगा ।

15. **समन या नोटिस की तामील** :– (1) उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस समन, आदेशिका या आदेश या तो स्वयं या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में विहित किसी भी अन्य रीति से तामील किये जा सकेंगे ।

(2) जब नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में बहुत से व्यक्ति हों, और ऐसे व्यक्ति किसी व्यवसाय संघ या संगम के सदस्य हों या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उनका प्रतिनिधित्व हो तो सचिव पर या जहां सचिव न हो, वहां व्यवसाय संघ या संगम के मुख्य अधिकारी पर या प्राधिकृत व्यक्ति पर नोटिस की तामील ऐसे व्यक्तियों पर तामील समझी जाएगी ।

16. **नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा मामलों का अभिलेख रखा जाना**:– (1) नियंत्रक प्राधिकारी, धारा 7 के अधीन प्रत्येक मामले की विशिष्टियां प्ररूप 'द' में अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित विशिष्टियों पर आदेश देते समय हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में आदेश देते समय मामले के गुणागुण पर अपने निष्कर्ष भी अभिलिखित करेगा और आदेश-शीट के साथ साक्ष्य-ज्ञापन के सहित उसे फाइल करेगा ।

(3) किसी आदेश या निर्देश के अभिलेख से भिन्न कोई अभिलेख, जिस पर, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से और उसके निर्देशों के अधीन किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा, जो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में नियुक्त किया गया हो, हस्ताक्षरित किया जा सकेगा ।

17. **उप-दान के संदाय के लिए निर्देश** :–यदि नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन यह निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है कि आवेदक अधिनियम के अधीन उप-दान के संदाय का हकदार है तो नियंत्रक प्राधिकारी संबंधित नियोजक को प्ररूप 'घ' में एक नोटिस जिसमें संदेय रकम विनिर्दिष्ट हो और नियोजक द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे आवेदक को संदत्त करने का नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देते हुए, जारी करेगा । नोटिस की एक प्रति, यथास्थिति, आवेदक, कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस को पृष्ठांकित की जाएगी ?

18. **अपील** :– (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन अपील ज्ञापन, विरोधी पक्षकार और नियंत्रक प्राधिकारी को उसकी एक प्रति सहित या तो स्वयं या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा अपील-प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) अपील-ज्ञापन में मामले के तथ्य, नियंत्रक प्राधिकारी का विनिश्चय, अपील का आधार और ईप्सित अनुतोष दिया गया होगा ।

(3) अपील-ज्ञापन के साथ नियंत्रक प्राधिकारी के निष्कर्ष की और उप-दान के संदाय के लिए निर्देश की एक सत्यापित प्रति लगी होगी ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी अपील ज्ञापन की प्रति की प्राप्ति पर मामले के अभिलेखों को अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(5) विरोधी पक्षकार, अपील ज्ञापन की प्रति की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर ज्ञापन के प्रत्येक पैरा पर अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, तो अतिरिक्त अभिवचनों सहित अपील प्राधिकारी को, एक प्रति अपीलार्थी के सहित, प्रस्तुत करेगा ।

(6) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपना विनिश्चय लिखेगा । विनिश्चय की एक प्रति अपील के पक्षकारों को दी जाएगी और उसकी एक प्रति नियंत्रक प्राधिकारी को मामले का उसका अभिलेख वापिस करते हुए भेजी जाएगी ।

(7) नियंत्रक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की प्राप्ति पर नियम 16 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप 'ध' में रखे जाने वाले मामले के अभिलेख में आवश्यक प्रविशिष्ट करेगा ।

(8) नियंत्रक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की प्राप्ति पर, यदि उस विनिश्चय के अन्तर्गत उपेक्षित हो तो, उप-दान के संदाय के अपने निर्देशों में उपान्तरण करेगा और प्ररूप 'न' में संबंधित नियोजक को एक नोटिस उपान्तरित संदेय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए और नियोजक द्वारा नोटिस के प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उसे आवेदक को संदत्त करने का निर्देश देते हुए नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देते हुए, जारी करेगा । नोटिस की एक प्रति यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस को और अपील प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी ।

19. **उप-दान की वसूली के लिए आवेदन** :– जब नियोजक, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति नियम 17, या नियम 18 के अधीन नोटिस के अनुसार अधिनियम के अधीन देय उप-दान की अदायगी में विफल रहे तो, यथास्थिति, संबंधित कर्मचारी, उसका नामनिर्देशिती या विधिक वारिस, जिसको उप-दान संदेय है, नियंत्रक प्राधिकारी को दो प्रतियों में प्ररूप 'प' में अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसकी वसूली के लिए आवेदन कर सकेगा ।

20. **अधिनियम और नियमों की संक्षिप्तियों का प्रदर्शन** :– नियोजक अधिनियम की और उसके अधीन बनाए गए नियमों की संक्षिप्तियां अंग्रेजी में और कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्थापन के मुख्य द्वार पर या उसके निकट सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

प्ररूप 'क'

(नियम 3 का उप-नियम (1) देखिए)

खोलने की सूचना

1– स्थापन का नाम और पता ।

2– नियोजक का नाम और पद-नाम ।

3–. नियोजित व्यक्ति की संख्या ।

4–. पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या तारीख सहित ।

5– कितने कर्मचारी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।
6– उद्योग का स्वरूप।
7– क्या मौसमी है।
8– खोले जाने की तारीख।
9– मुख्यालय, शाखाओं का विवरण।
(क) मुख्यालय का नाम और पता
कर्मचारियो की संख्या।
(ख) भारत में अन्य शाखाओं के नाम और पते।
1–
2–
3–

मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासानुसार सही है।

नियोजक के नाम और पदनाम सहित
स्थान हस्ताक्षर
तारीख
सेवा में

नियंत्रक प्राधिकारी

प्ररूप 'ख'

(नियम 3 का उप-नियम (2) देखिए)

परिवर्तन की सूचना

स्थापन का नाम और पता

यह सूचना लें कि प्ररूप 'क' में तारीख के नोटिस में मेरे द्वारा दी गई विशिष्टियों में तारीख से निम्नलिखित परिवर्तन हो गए हैं :–
नाम
पता

नियोजक का नाम
कारबार का स्वरूप

नियोजक के नाम और पदनाम सहित
स्थान हस्ताक्षर
तारीख

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी,

प्ररूप 'ग'

(नियम 3 का उप-नियम (3) देखिए)

बन्द करने की सूचना

यह सूचना लें कि तारीख से स्थापन को बन्द किया जाना आशयित है। अन्य विवरण निम्नलिखित है :—

1– स्थापन का नाम और पता।
2– मुख्यालय का, यदि कोई हो, नाम और पता।
3– नियोजक का नाम और पदनाम।
4– नियोजन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या।
5– उप-दान के हकदार कर्मचारियों की संख्या।
6– अन्तर्वलित उपादान की रकम।

स्थान नियोजक के नाम और पदनाम
तारीख सहित हस्ताक्षर
सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी,

प्ररूप 'घ'

(नियम 5 का उप-नियम (1) देखिए)

कुटुम्ब से पति को अपवर्जित करने की सूचना

प्रेषक –

1– महिला कर्मचारी का नाम।
2– जिस स्थापन में नियोजित है उसका नाम और विवरण।
3– किस पद पर है, यदि कोई हो तो, टिकट और क्रम संख्या सहित।
4– विभाग, शाखा, अनुभाग जिसमें नियोजित है।
5– स्थायी पता।

यह सूचना लें कि मेरी, श्रीमती को अपने पति श्री को उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रयोजनार्थ अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की इच्छा है।

स्थान
कर्मचारी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा।
तारीख

साक्षी द्वारा घोषणा

उपरोक्त सूचना पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए, निशानी अंगूठा लगाई गई।

साक्षियों के पूरे नाम और पूरे पते	साक्षियों के हस्ताक्षर
1–	1–
2–	2–

स्थान
तारीख
सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी (नियोजक की मार्फत)
(यहां नियोजक का नाम और पता)

नियोजक द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिए

इस स्थापन मे प्राप्त हुआ और अभिलिखित किया गया।

संदर्भ सं० नियोजक के या नियोजक द्वारा इस निमित्त अधिकारी के प्राधिकारी हस्ताक्षर
तारीख
सेवा में
1– (कर्मचारी)
2– नियंत्रक प्राधिकारी

(टिप्पणी — लागू न होने वाले शब्द काट दें)

प्ररूप 'ङ'

(नियम 5 का उप-नियम (2) देखिए)

कुटुम्ब से पति को अपवर्जित करने की सूचना को वापिस लेने की सूचना

1– महिला कर्मचारी का नाम।

2– जिस स्थापन में नियोजित है उसका नाम और विवरण।

3– किस पद पर है, यदि कोई हो तो टिकट और क्रम संख्या सहित।

4– विभाग, शाखा, अनुभाग जिसमें नियोजित है।

5– स्थायी पता।

यह सूचना दें कि मैं, श्रीमती अपने पति श्री ——— को उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रयोजनार्थ अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने वाली तारीख की सूचना को एतद्द्वारा वापिस लेती हूं। पूर्वोक्त सूचना आपके संदर्भ सं० तारीख के अधीन अभिलिखित की गई थी।

स्थान कर्मचारी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

तारीख

साक्षी द्वारा घोषणा

उपरोक्त सूचना पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए, निशानी अंगूठा लगाई गई।

साक्षियों के पूरे नाम और पूरे पते	साक्षियों के हस्ताक्षर
1—	1—
2—	2—

स्थान

तारीख

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी (नियोजक मार्फत)

(यहां नियोजक का नाम और पता)

नियोजक द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए

इस स्थापन में प्राप्त हुआ और अभिलिखित किया गया।

संदर्भ सं० नियोजक या प्राधिकृत अधिकारी के

तारीख हस्ताक्षर स्थापन की मुद्रा या

सेवा में, रबड़ स्टाम्प

1– (कर्मचारी)

2– नियंत्रक प्राधिकारी।

(टिप्पणी— लागू न होने वाले शब्द को काट दें)

प्ररूप 'च'

(नियम 6 का उप-नियम (1) देखिए)

नामनिर्देशन

सेवा में

(यहां पर स्थापन का नाम या विवरण पूरे पते सहित दें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी (यहां पूरा नाम लिखें), जिसकी विशिष्टियां निम्न विवरणी में दी गई हैं, एतद्द्वारा नीचे कथित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के बाद संदेय उप-दान साथ ही मेरे नाम में जमा उपदान की रकम जिस के संदेय होने से पूर्व मेरी मृत्यु की घटना में या जो संदेय होते हुए भी संदत्त नहीं की गई हो को प्राप्त करने के लिये नामनिर्देशित करता/करती हूं और निवेश देता/देती हूं कि उप-दान की उक्त रकम इन नामनिर्देशिती(यों) में उनके नाम(मों) के सामने दिए गए अनुपात से दी जाएगी।

2. मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लिखित व्यक्ति (उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अर्थ के अन्तर्गत मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं।

3. मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूं कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के अर्थ के अन्तर्गत मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है।

4. (क) मेरे पिता/माता/माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है/हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता, मेरे पति पर आश्रित नहीं है/हैं।

5. मैंने उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के परन्तुक के निबन्धनों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी को तारीख के नोटिस द्वारा अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्जित कर दिया है।

6. यहां किए गए नामनिर्देशन से पूर्ववर्ती नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाते हैं।

नामनिर्देशिती(तियों)

नामनिर्देशिती (तियों) का/के पूरे नाम पते सहित	कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	नामनिर्देशिती की आयु	उपदान किस अनुपात से लिया जाएगा
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

विवरण

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है।
5. विभाग/शाखा/अनुभाग, जहां नियोजित है।
6. किस पद पर है, यदि कोई हो तो टिकट या क्रम संख्या।
7. नियुक्ति की तारीख।
8. स्थायी पता

ग्राम थाना मंडल

डाकघर जिला राज्य

स्थान कर्मचारी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

तारीख

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामनिर्देशन पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए/निशानी अंगूठा लगाई गई।

साक्षियों का पूरा नाम और पूरा पता	साक्षियों का हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान

तारीख

नियोजक द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और इस स्थापन के अभिलेखों में रख दी गई हैं।

यदि कोई है तो नियोजक की संदर्भ सं०

हस्ताक्षर
नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के
पद नाम

तारीख

स्थापन का नाम और पता या
उसकी रबड़ स्टाम्प

कर्मचारी द्वारा अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा दिए गए प्ररुप ज में नामनिर्देशन की दूसरी प्रति नियोजक द्वारा सम्यकरूप से प्रमाणित प्राप्त हुई है।

तारीख

कर्मचारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी – जो शब्द/पैरा लागू नहीं होते हैं उन्हें काट दें।

प्ररुप 'छ'

(नियम 6 का उपनियम (3) देखिए)

नया नाम निर्देशन

सेवा में

(यहां पर स्थान का नाम या विवरण पूरे पते सहित दें)

मेरा/श्री/श्रीमती/कुमारी (यहां पूरा नाम लिखें) जिसकी विशिष्टियां निम्न विवरणी में दी गई हैं उपदान संदेय अधिनियम 1972 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अर्थ के अन्तर्गत

(यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित रीति से कुटुम्ब हो गया है और इसलिए नीचे कथित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के बाद संदेय उपदान साथ ही मेरे नाम में जमा उपदान की रकम जिसके संदेय होने से पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में या जो संदेय होते हुए भी संवस न की गई हो को प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता/करती हूं और निदेश देता/देती हूं की उपदान की उक्त रकम इन नामनिर्देशिती(यों) में उनके नाम(मों) के सामने दिये गये अनुपात से दी जाएगी।

2. मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लिखित व्यक्ति (यों) उपदान संदाय अधिनियम 1972 की धारा 2 खण्ड (ज) के अर्थ के अन्तर्गत मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं।

3. (क) मेरे पिता/माता/मासा-पिता मुझ पर आश्रित नहीं हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है/हैं।

4. मैंने उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के परन्तुक के निबंधों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी को तारीख के नोटिस द्वारा अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्जित कर दिया है।

नामनिर्देशिती (तियों)

नामनिर्देशिती (तियों) का/के पूरे नाम पते सहित	कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	नामनिर्देशिती की आयु	उपदान किस अनुपात से लिया जायेगा
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
3.			
4.			
5.			
आदि			

'कुटुम्ब प्राप्त करने की रीति'

(कुटुम्ब कैसे प्राप्त किया गया था अर्थात् विवाह द्वारा या माता-पिता के आश्रित हो जाने से या दत्तक जैसी किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा, का पूरा विवरण यहां लिखें)।

विवरण

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है।
5. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित है।
6. किस पद पर है यदि कोई हो तो टिकट संख्या या क्रम संख्या।
7. नियुक्ति की तारीख
8. स्थायी पता

ग्राम	थाना	उपमंडल
डाकघर	जिला	राज्य

स्थान . . . . .

कर्मचारी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

तारीख . . . . . .

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामनिर्देशन पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गये, निशानी अंगूठा लगाई गई।

साक्षियों का पूरा नाम और पूरा पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान

तारीख

नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और इस स्थापन के अभिलेखों में रख दी गई हैं। यदि कोई है तो नियोजक की संदर्भ सं०

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

स्थापना का नाम और पता या उसकी रबड़ स्टाम्प

कर्मचारी द्वारा अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा तारीख . . . . . को दिए गए प्ररूप . . . . में नामनिर्देशन की दूसरी प्रति नियोजक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्राप्त हुई।

तारीख

कर्मचारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी--जो शब्द/पैरा लागू नही होते है, उन्हें काट दें।

प्ररूप 'ज'

(नियम 6 का उपनियम (4) देखिए)

नामनिर्देशन का उपान्तरण

सेवा में

(यहां हर स्थापन का नाम या विवरण पूरे पते सहित दें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी (यहां पूरा नाम लिखें) जिसकी विशिष्टियां निम्न विवरण में दी गई हैं एतद्द्वारा नोटिस देता हूं/देती हूं कि तारीख को मेरे द्वारा फाइल किया गया और आपको संदर्भ संख्या तारीख को अभिलिखित किया गया नामनिर्देशन निम्नलिखित रीति से उपान्तरित समझा जायेगा :—

(यहां आशयित उपान्तरण का ब्यौरा दें)

विवरण

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है
5. विभाग/शाखा/अनुभाग, जहां नियोजित है
6. किस पद पर है, यदि कोई हो तो टिकट या क्रम संख्या।
7. नियुक्ति की तारीख
8. स्थायी पता

स्थान

तारीख

कर्मचारी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामनिर्देशन के उपान्तरण पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए निशानी अंगूठा लगाई गई।

साक्षियों का पूरा नाम और पूरा पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान

तारीख

नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उपान्तरण अभिलिखित कर दिये गये है। यदि कोई हो तो नियोजक की संदर्भ सं०,

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर

पदनाम

स्थापन का नाम और पता या उसकी रबड़ स्टाम्प

कर्मचारी द्वारा अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा . . . . . को दिये गये प्ररूप 'ज' में उपान्तरण के नोटिस दूसरी प्रति नियोजक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्राप्त हुई।

तारीख

कर्मचारी के हस्ताक्षर

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द काट दें।

प्ररूप 'झ'

(नियम 7 का उप नियम (1) देखिए)

कर्मचारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन

सेवा में,

(यहां पर स्थापन का नाम और विवरण पूरे पते सहित दें)

महोदय/महानुभाव,

निवेदन है कि मैं उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जिस उपदान के संदाय का हकदार हूं उसके संदत्त किये जाने के लिए अपनी अधिवर्षिता/निवृत्ति/5 वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा की समाप्ति के पश्चात् त्यागपत्र/दुर्घटना के कारण पूर्ण अशक्यता/तारीख.....से बीमारी के कारण पूर्ण अशक्यता के कारण आवेदन करता हूं। स्थापना में मेरी नियुक्ति से सम्बन्धित आवश्यक विशिष्टियां निम्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. पूरा नाम
2. पूरा पता
3. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां अंतिम बार नियोजित था
4. किस पद पर है, यदि कोई हो तो टिकट सं० या क्रम संख्या
5. नियुक्ति की तारीख
6. सेवा समाप्ति का कारण और तारीख
7. सेवा की कुल अवधि
8. अन्तिम बार कितनी मजदूरी ली गई थी
9. दायाकृत्त उपदान की रकम

2. मैं .... (यहां बीमारी या दुर्घटना के स्वरूप का ब्यौरा दें) के परिणामस्वरूप पूर्ण अशक्य हो गया था।

1.
2.
3.
4.
5.

आदि

मेरी पूर्ण अशक्यता के समर्थन में साक्ष्य/साक्षी इस प्रकार है :-

(यहां ब्यौरा दें)

3. अदायगी कृपया नकद/अवत्त या रेखित बैंक चेक से की जाय।

4. चूंकि संदेय उपदान की रकम एक हजार रुपये से कम है, मैं अपने को देय रकम को उपर्युक्त पते पर, उसमें से पोस्टल मनीआर्डर कमीशन काटने के पश्चात् पोस्टल मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था करने का निवेदन करता हूं।

भवदीय,

कर्मचारी आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी

स्थान अंगूठा

तारीख

टिप्पण :—(1) लागू न होने वाले शब्द काट दें।
(2) लागू न होने वाले पैरों को काट दें।

प्ररूप 'ज'

(नियम 7 का उप-नियम (2) देखिए)

नामनिर्देशिती द्वारा उपदान के लिए आवेदन

सेवा में,

(यहां पर स्थापन का नाम या विवरण पूरे पते सहित दें)

महोदय/महानुभाव,

निवेदन है कि मैं उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्वर्गीय (कर्मचारी का नाम) के, जो आपके स्थापन का कर्मचारी था और तारीख को जिसकी मृत्यु हो गई थी, नामनिर्देशिती के रूप में, जिस उपदान के संदाय का हकदार हूं, उसके संदाय के लिए आवेदन करता हूं। उपर्युक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु उपर्युक्त कर्मचारी के तारीख को अधिवर्षिता/निवृत्ति या वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् तारीख को उपर्युक्त कर्मचारी के त्यागपत्र/उपर्युक्त कर्मचारी की दुर्घटना के कारण या तारीख से सेवा के दौरान बीमारी के कारण पूर्ण अशक्यता के कारण उपदान संदेय हो गया है। मेरे दावे से संबंधित आवश्यक विशिष्टियां निम्नलिखित विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. आवेदक नामनिर्देशिती का नाम
2. आवेदक नामनिर्देशिती का पूरा पता
3. आवेदक नामनिर्देशित की वैवाहिक प्रास्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
4. कर्मचारी का पूरा नाम
5. कर्मचारी की वैवाहिक प्रास्थिति
6. नामनिर्देशिती का कर्मचारी से संबंध
7. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख
9. कर्मचारी की सेवा की समाप्ति का कारण और तारीख
10. विभाग/शाखा/अनुभाग जिसमें कर्मचारी ने अंतिम बार काम किया
11. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार धारित पद, यदि कोई हो तो टिकट या क्रम संख्या
12. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार ली गई मजदूरी
13. कर्मचारी की मृत्यु की तारीख और मृत्यु के सबूत के तौर पर साक्ष्य/साक्षी
14. अभिलिखित नामनिर्देशन की संदर्भ सं० यदि उपलब्ध हो
15. कर्मचारी को कुल संदेय उपदान
16. दावाकृत उपदान का अंश

2. मैं घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में दिया गया ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासनुसार सही है।

3. अदायगी कृपया नकद/रेखित या अवत्त बैंक चैक से की जाय

4. चूंकि संदेय उप-दान की रकम एक हजार रुपये से कम है, मैं अपने को देय रकम को उपर्युक्त पते पर, उसमें से पोस्टल मनीआर्डर कमीशन काटने के पश्चात पोस्टल मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था करने का निवेदन करता हूं।

भवदीय,

स्थान आवेदक नामनिर्देशिती के हस्ताक्षर/

तारीख निशानी अंगूठा

टिप्पण :— 1. लागू न होने वाले शब्द काट दें।
2. लाग न होने वाले पैरा या पैरों को काट दें।

प्ररूप 'ज'

(नियम 7 का उप-नियम (3) देखिए)

विधिक वारिस द्वारा उपदान के लिए आवेदन

सेवा में,

(यहां पर स्थापन का नाम और विवरण पूरा पते सहित दें

महोदय/महानुभाव,

निवेदन है कि मैं उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जिस उप-दान का मैं हकदार हूं, उसके संदत्त किए जाने के लिये, स्वर्गीय श्री (यहां कर्मचारी का नाम), जो आपके स्थापन का कर्मचारी था और तारीख को जिसका देहान्त बिना नामनिर्देशन किये हो गया था, के विधिक वारिस के रूप में आवेदन करता हूं। उपर्युक्त कर्मचारी के सेवा के दौरान मृत्यु/उपर्युक्त कर्मचारी का तारीख को अधिवर्षिता/निवृत्ति या वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् तारीख को उपर्युक्त कर्मचारी के त्यागपत्र/दुर्घटना के या सेवा के दौरान तारीख से बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की पूर्ण अशक्यता के कारण उपदान संदेय हो गया है। मेरे दावे से संबंधित आवश्यक विशिष्टियां निम्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. आवेदक विधिक वारिस का नाम
2. आवेदक विधिक वारिस का पूरा पता
3. आवेदन विधिक वारिस की वैवाहिक प्रास्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
4. कर्मचारी का पूरा नाम
5. आवेदक का कर्मचारी से संबंध
6. आवेदक और कर्मचारी दोनों का धर्म
7. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख और कुल सेवा की अवधि

8. विभाग/शाखा/अनुभाग जिसमें कर्मचारी ने अंतिम बार काम किया
9. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार धारित पद, यदि कोई हो तो टिकट या क्रम संख्या सहित ।
10. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार ली गई मजदूरी
11. कर्मचारी की सेवा की समाप्ति का कारण और तारीख (मृत्यु या अन्यथा)
12. कर्मचारी की मृत्यु की तारीख और उसके समर्थन में साक्ष्य/साक्षी
13. कर्मचारी को संदेय कुल उप-दान
14. दावाकृत उप-दान का प्रतिशत
15. दावे का आधार और उसके समर्थन में साक्ष्य/साक्षी

2. मैं घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में दिया गया ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासनुसार सही है।

3. अदायगी कृपया नकद/अदत्त या/रेखित बैंक चैक से की जाय।

4. चूंकि संदेय उप-दान की रकम एक हजार रुपये से कम है, मैं अपने को देय रकम को उपर्युक्त पते पर, उसमें से पोस्टल मनीआर्डर कमीशन काटने के पश्चात् पोस्टल मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था करने का निवेदन करता हूं।

भवदीय

स्थान आवेदक विधिक वारिस के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा।

तारीख

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द काट दें।

प्ररूप 'ठ'

नियम 8 का उपनियम (1) का खंड (i) देखिये

उपदान के संदाय के लिये नोटिस

सेवा में,

(आवेदक कर्मचारी/नामनिर्देशिती/विधिक वारिस का नाम और पता)

उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) के अधीन यथापेक्षित एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उप-दान के रूप में श्री द्वारा तारीख को किये गए तथा यहां अभिलिखित किये गये नामनिर्देशन के निबन्धनों के अनुसार श्री , जो स्थापन का कर्मचारी था, के विधिक वारिस के रूप में आप के हिस्से के रूप में रुपये की रकम संदेय है।

2. कृपया (यहा स्थान विनिर्दिष्ट करें) पर (तारीख) को (समय) बजे, अपने संदाय को नकद/अदत्त या रेखित चैक द्वारा प्राप्त करने के लिये आएं।

3. जैसा कि आप चाहते हैं, आपको संदेय रकम आपके द्वारा आवेदन में दिये गए पते पर पोस्टल मनिआर्डर कमीशन काटने के पश्चात् पोस्टल मनीआर्डर द्वारा भेज दी जाएगी।

गणना का संक्षिप्त विवरण

1. संबंधित कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि
——————वर्ष——————मास
2. अंतिम बार ली गई मजदूरी
3. नामनिर्देशन के निबन्धनों/विधिक वारिस के रुप में संदेय अनुज्ञेय उप-दान का अनुपात :
4. संदेय रकम :

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान स्थान का नाम या विवरण या उसकी

तारीख रबड़ स्टाम्प

प्रति नियंत्रक प्राधिकारी को।

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द काट दें।

प्ररूप 'ड'

नियम 8 के उप-नियम (1) का खंड (ii) देखें उपदान के संदाय के दावे को नामंजूर करने का नोटिस

सेवा में,

(आवेदक कर्मचारी/नामनिर्देशिती/विधिक वारिस का नाम और पता)

उप-दान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अधीन यथापेक्षित आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन प्ररूप में आपके आवेदन में यथाउपवर्णित उप-दान के संदाय का दावा निम्नलिखित कारणों से अनुज्ञेय नहीं है।

कारण

यहां कारण विनिर्दिष्ट करें

स्थान

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थापन का नाम और विवरण या उसकी रबड़ स्टाम्प

प्रति नियंत्रक प्राधिकारी को

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द काट दें।

प्ररूप 'ढ'

(नियम 10 का उप-नियम (1) देखिए)

निर्देश के लिए आवेदन

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष।

आवेदन सं० तारीख

(आवेदक का पूरा नाम पूरे पते सहित)

तथा

(संबंधित नियोजक का पूरा नाम पूरे पते सहित)

के बीच

आवेदक, उपर्युक्त नियोजक(कों) का एक कर्मचारी/उपर्युक्त नियोजक(को) का कर्मचारी स्वर्गीय श्री का नामनिर्देशिती/उपर्युक्त नियोजक(कों) का कर्मचारी स्वर्गीय श्री का विधिक वारिस है, और उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अधीन उपदान के संदाय को, स्वयं अपनी/उपर्युक्त कर्मचारी की (तारीख) को अधिवर्षिता के कारण/स्वयं अपनी निवृत्ति, उपर्युक्त कर्मचारी का (तारीख) को वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् त्यागपत्र दे देने/स्वयं अपनी/उपर्युक्त कर्मचारी की (तारीख) से पूर्ण आवश्यकता जो दुर्घटना बीमारी के कारण हो गई थी/उपर्युक्त कर्मचारी की (तारीख) को मृत्यु हो जाने के कारण हकदार है।

2. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के नियम के अधीन आवेदक ने एक आवेदन (तारीख) को प्रस्तुत किया था लेकिन उपर्युक्त नियोजक ने उसे लेने से इन्कार कर दिया/नियम के

उप-नियम के के खण्ड के अधीन तारीख का नोटिस जारी किया जिसमें मुझे देय रकम से कम उप-दान प्रस्थापित किया गया था, नियम के उपनियम के खण्ड के अधीन तारीख का नोटिस उपदान के संदाय की मेरी पात्रता को नामंजूर करते हुए जारी किया गया।

उक्त नोटिस की दूसरी प्रति संलग्न है।

3. आवेदक का निवेदन है कि इस मामले में विवाद (विवाद विनिर्दिष्ट करें) हैं।

4. आवेदक इसके उपाबन्ध में आवश्यक विशिष्टियां दे रहा है और निवेदन करता है कि नियंत्रक प्राधिकारी कृपया अर्जीदार को संदेय उप-दान की रकम अवधारित करें और उपर्युक्त नियोजक को उसे अर्जीदार को देने का निर्देश दें।

5. आवेदक घोषित करता है कि इसके उपाबन्ध में दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासानुसार सही हैं।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक की निशानी अंगूठा

उपबन्ध

1. आवेदक का पूरा नाम पूरे पते सहित
2. दावे का आधार
   (मृत्यु/शक्तिहीनता/निवृत्ति/त्यागपत्र/कर्मचारी की अक्षमता)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता
4. कर्मचारी की वैवाहिक प्रास्थिति
   (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
5. नियोजक का पूरा नाम और पता
6. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार नियोजित था (यदि ज्ञात हो)
7. कर्मचारी किस पद पर था यदि कोई हो तो टिकट या क्रम संख्या दे (यदि ज्ञात हो)
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)
9. कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण और तारीख
   (अशक्तिहीनता/निवृत्ति/त्यागपत्र, अक्षमता/मृत्यु)
10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि
11. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार लिया गया वेतन
12. यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसका कारण और तारीख
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य/साक्षी
14. यदि नामनिर्देशिती है तो नियोजक के पास नामनिर्देशन को अभिलिखित करने की संख्या और तारीख
15. यदि विधिक वारिस है तो विधिक वारिस होने के लिए साक्ष्य/साक्षी
16. कर्मचारी को संदेय कुल उप-दान (यदि ज्ञात हो)
17. नामनिर्देशिती/विधिक वारिस के रूप में आवेदक को संदेय उप-दान की प्रतिशतता
18. आवेदक द्वारा दावाकृत उप दान की रकम।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा
तारीख

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द काट दें।

प्ररूप 'ण'

(नियम 11 का उप-नियम (1) देखिए)

नियंत्रक प्राधिकारी के सामने हाजिर होने के लिये नोटिस

प्रेषक :—उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी सेवा में,

(नियोजक/आवेदक का नाम और पता)

यतः श्री आपके अधीन कर्मचारी/श्री के, जो उपर्युक्त नियोजक के अधीन कर्मचारी हैं, नामनिर्देशिती(यों) विधिक वारिस(सों) ने उप-दान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 10 के उप-नियम के अधीन एक आवेदन यह कथित करते हुए दिया है कि :—

(उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न है)

अतः अब एतद्द्वारा आप से (स्थान) पर स्वयं या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से आवेदन के सम्बन्ध में सभी तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयोजनार्थ 19 के/की मास के दिन बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभिकथन के समर्थन के उत्तर में, उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है; और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत किया गया दिन आवेदन के अंतिम निर्धारण के लिए नियत है, आपको उस दिन सभी साक्षियों, जिनके साक्ष्य पर, और दस्तावेज, जिन पर अपने अभिकथन/रक्षा के समर्थन में आपका निर्भर करना आशयित है, उनको प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह नोटिस लें कि पूर्व उल्लिखित दिन को आपकी उपस्थिति के अभाव में आवेदन खारिज/आपकी अनुपस्थिति में सुना और अवधारित किया जाएगा।

19 के/की मास के इस दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित

नियंत्रक प्राधिकारी

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द और पैरा काट दें।

प्ररूप 'त'

(नियम 14 देखिए)

समन

उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष

सेवा में,

(नाम और पता)

यतः द्वारा से उप-दान के लिए दावे से उत्पन्न होने वाले मामले में, जो उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 7 के अधीन आवेदन द्वारा इस प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है,

की ओर से साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, आपसे निम्नलिखित सूची में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है, एतद्द्वारा आपको 19 के/की मास के दिन बजे पूर्वाह्न अपराह्न में आपसे इस प्राधिकरण के समक्ष स्वयं हाजिर होने तथा अपने साथ उक्त दस्तावेज लाने (या इस प्राधिकरण को भेजने) को समन किया जाता है।

दस्तावेजों की सूची

1.

2.

3. आदि नियंत्रक प्राधिकारी

तारीख 19 के/की मास का दिन

टिप्पण:—(1) लागू न होने वाले अंश निकाल दें।

(2) समन दो प्रतियों में जारी किया जाएगा तामील किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर करके नियत तारीख से पूर्व वापिस किया जाए।

(3) समन जब सिर्फ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाए और साक्ष्य देने के लिए नहीं तो समन के अनुपालन के लिए यह पर्याप्त होगा कि नियंत्रक प्राधिकारी के सामने इस प्रयोजन के लिए नियत दिन और समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करा दिये जाएं।

प्ररूप 'ब'

(नियम 16 का उप-नियम (1) देखिए)

धारा के अधीन आवेदन का ब्योरा

1. क्रम सं०
2. आवेदन की तारीख
3. आवेदक का नाम और पता
4. नियोजक का नाम और पता
5. दावाकृत उपदान की रकम
6. सुनवाई की तारीखें
7. तारीख सहित निष्कर्ष
8. अधिनिर्णीत रकम
9. खर्चा यदि कोई अधिनिर्णीत हो
10. उप-दान के संदाय के लिए जारी करने की गई नोटिस की तारीख
11. यदि कोई हो तो अपील की तारीख
12. अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय
13. उप-दान के संदाय के लिये अंतिम नोटिस जारी करने की तारीख
14. नियोजक द्वारा उप-दान के संदाय की तारीख, संदाय के ढंग के सहित
15. उप-दान की वसूली के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख।
16. वसूली की तारीख
17. वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख
18. अन्य टिप्पण
19. हस्ताक्षरित
20. तारीख

प्ररूप 'द'

(नियम 17 देखिए)

उप-दान के संदाय के लिए नोटिस

सेवा में,

(नियोजक का नाम और पता)

यतः श्री, श्रीमती, कुमारी जो (पता)

के हैं, आपके अधीन कर्मचारी स्वर्गीय

आपके अधीन कर्मचारी के नामनिर्देशिती(यों)/विधिक वारिस(सों) ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 7 के अधीन मेरे समक्ष आवेदन फाइल किया है;

और यतः आवेदन की सुनवाई आपकी उपस्थिति में————————को की गई थी और सुनवाई के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त श्री, श्रीमती, कुमारी————————————————उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उप-दान के रूप में रुपये के संदाय का/की हकदार है;

अतः अब मैं एतद्द्वारा आपको रुपये की उक्त रकम श्री, श्रीमती, कुमारी को इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर संदत्त करने का, उसकी सूचना मुझे देते हुए, नोटिस देता हूं।

19————————के/की————————————— मास के दिन को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित।

नियंत्रक प्राधिकारी

प्रति सेवा में,

(नियम के अधीन आवेदक)

उसे सलाह दी जाती है कि भुगतान लेने के लिए नियोजक से सम्पर्क करे।

टिप्पण:—लागू होने वाले अंश निकाल दें।

प्ररूप 'ध'

(नियम 18 का उपनियम (1) देखिए)

अपीली प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित उप-दान के संदाय के लिए नोटिस

सेवा में,

(नियोजक का नाम और पता)

यतः आपको एक नोटिस को प्ररूप 'द' में दिया गया था जिससे श्री, श्रीमती, कुमारी को उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उप-दान के रूप में रुपये संदत्त किए जाने की आपसे अपेक्षा की गई थी;

यतः आप, आवेदक ने अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील की थी जिसने विनिश्चित किया कि श्री, श्रीमती, कुमारी को उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उप-दान के रूप में रुपये की रकम देय है;

अतः अब एतद्द्वारा मैं आपको रुपये की उक्त रकम श्री, श्रीमती, कुमारी को इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर संदत्त करने का उसकी मुझे सूचना देते हुए, नोटिस देता हूं।

19 के/की मास के दिन को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित।

नियंत्रक प्राधिकारी

प्रति सेवा में :—

1. आवेदक,

उसे सलाह दी जाती है कि भुगतान लेने के लिए नियोजक से संपर्क करे।

2. अपीली प्राधिकारी।

टिप्पण:—लागू न होने वाले अंश निकाल दें।

प्ररूप 'ग'

(नियम 19 देखिए)

उप-दान की वसूली के लिए आवेदन

उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष

आवेदन सं० तारीख

(आवेदक का पूरा नाम, पते सहित)

और

(नियोजक का पूरा नाम, पते सहित

के बीच

आवेदक उपर्युक्त नियोजक का एक कर्मचारी स्वर्गीय उपर्युक्त नियोजक का कर्मचारी का नामनिर्देशिती/स्वर्गीय उपर्युक्त नियोजक का कर्मचारी का विधिक वारिस है, और आपने अपने तारीख के नोटिस में उप-दान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम के अधीन उक्त नियोजक को उप-दान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन संदेय उप-दान के रूप में रुपये का रकम सदत्त करने के लिए नोटिस दिया था।

2. आवेदक निवेदन करता है कि उक्त नियोजक आप के द्वारा यथा-निर्दिष्ट उप-दान की उक्त रकम, यद्यपि, मैंने भुगतान के लिए उससे सम्पर्क किया था, देने में विफल रहा है।

3. अतः आवेदक प्रार्थना करता है कि आपके निर्देश के निबन्धनों के अनुसार उप-दान के रूप में मुझे देय रुपये की उक्त रकम की वसूली के लिए, उक्त अधिनियम की धारा के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया जाय।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

तारीख

टिप्पण :—लागू न होने वाले शब्द काट दें।

[सं० एस० 70020(3)/72-पी एफ iii(ii)]

(डी० एस० निमि) सयुक्त सचिव,

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 13th November, 1972

G.S.R. 1489.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 24 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), read with rules 3 and 4 of the Central Apprenticeship Council Rules, 1962, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Directorate General of Employment and Training), No. 24(1)/71-AP, dated the 6th September, 1971, published as G.S.R. 1573, dated the 23rd October, 1971, namely:—

Under the heading "(a) Representatives of Employers in establishments in the public sector", for item 1 and entry shall be substituted, namely:—

"1. Controller of Printing (Norms), Office of the Chief Controller of Printing and Stationery, Nirman Bhavan, New Delhi-11".

[No. DGET-24(1)/72-AP]

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1972

सा.का.नि. 1489.—केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् नियमावली, 1962 के नियम 3 और 4 के साथ पठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा-24 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना संख्या-24(1)/71-ए. पी. दिनांक 6 सितम्बर, 1971 में, जो कि सा. का. नि. 1573, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 के रूप में प्रकाशित हुई है, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

शीर्षक "(क) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नियोजकों के प्रतिनिधियों" के अंतर्गत मद-1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"मुद्रण नियन्त्रक (मानवण्ड), मुद्रण एवं लेखन-सामग्री के मुख्यनियंत्रक का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11".

[सं. 24(1)/ए पी./72]

ग. जगन्नाथ, उप-सचिव।

New Delhi, the 15th November, 1972

G.S.R. 1490.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7, of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 namely:—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds *Seventh* Amendment Scheme, 1972.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,—

(i) In clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, sub-clause (LXX) shall be renumbered as sub-clause (LXXI) and before sub-clause (LXXI) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(LXX) as respects cotton ginning, baying and pressing industry specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 1251, dated the 23rd September, 1972 come into force on the thirtieth day of September, 1972."

(ii) In clause (KK) of paragraph 2, for the words "or ice cream industry", the words "ice or ice cream industry" or cotton ginning, baling and pressing industry" shall be substituted.

[No. 4/2/70-PF.II(ii)]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1972

सा० का० नि०—1490.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 उपधारा (1) के साथ पठित धारा, 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 1972 है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में, —

(i) पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में उपखण्ड (LXX) को उपखण्ड (LXXI) पुनर्संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखण्ड (LXXI) से पहले निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(LXX) भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1251 तारीख 23 सितम्बर, 1972 में निर्दिष्ट कपास ओटना, गांठे बनाना और दबाना उद्योग के बारे में 1972 के सितम्बर के लेखे दिन को प्रवृत्त होंगे।"

(ii) पैरा 2 के खण्ड (टट) में "या आइस क्रीम उद्योग" शब्दों के स्थान पर "आइस या आइस क्रीम उद्योग" या काटन जिनिंग, बेलिंग और प्रेसिंग उद्योग" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 4/2/70—पी० एफ० II (ii)]

दलजीत सिंह अवर सचिव ।

New Delhi, the 17th November, 1972

G.S.R. 1491. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Regional Labour Commissioner (Central) Recruitment Rules, 1968 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 2082 dated 19th November, 1968, namely:—

1. These rules may be called the Regional Labour Commissioner (Central) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Regional Labour Commissioner (Central), Recruitment Rules, 1968,

In the Schedule—

(a) for the entry in col. 2, the following entry shall be substituted, namely:—"11"

(b) for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely:—

"Promotion failing which by transfer on deputation".

(c) for the entry in column 11, the following shall be substituted, namely:—

"*Promotion*—Assistant Labour Commissioner (Central) with 4 years service in the grade, rendered after appointment thereto on a regular basis.

Transfer on deputation — Officers holding analogous posts under Central/State Governments having a minimum of 6 years experience in Industrial relations and Labour Welfare. (Period of deputation — ordinarily not exceeding three years)".

[A-11019/9/70-CLT]

C. R. NAIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1972

सा.का.नि. 1491.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1968, जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 2082, तारीख 19 नवम्बर, 1968 के अन्तर्गत प्रकाशित हुए हैं, में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 है ।

2. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1968 में,

अनुसूची में,

(क) स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—"11"

(ख) स्तम्भ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।"

(ग) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**प्रोन्नति.**—सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जिनकी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 4 वर्ष की सेवा हो ।

"**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण.**—केन्द्रीय, राज्य सरकारों के अधीन सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी जिन को औद्योगिक संबंध और श्रम-कल्याण का कम से कम 6 वर्ष का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि—सामान्यतया 3 वर्ष से अनधिक) ।"

[ए-11019/9/70-सि.एल.टि.]

सी. आर. नायर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972